हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

20 मार्च, 1980

(द्वितीय बैठक)

खण्ड 1, अंक 16

अधिकृत विवरण

विशय सूची

वीरवार, 20 मार्च, 1980

पृश्ठ संख्या

बिल्ज– दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली (अलाउंसिज एण्ड पैन ान आफ मैम्बर्ज) अमैंडमैंट बिल, 1980	(1)1
दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली (अलाउंसिज एण्ड पैन ान आफ मैम्बर्ज) सैकिन्ड अमैडमैंट बिल, 1980	(1)4
दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली स्पीकर्ज पैन ान एंड मैडिकल फैसिलिटीज (अमैंडमैंट)	(1)6
दि हरियाणा सैलरीज एंड अलाउंसीज आफ मिनिस्टर्ज (अमैंडमैंट) बिल, 1980	(1)7
दि पंजाब प्रोहिबी ान आफ काऊ स्लाटर (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1980	(1)8
दि पंजाब कोर्टस (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1980	(1)24

दि हरियाणा वैलिडे ान आफ औक्ट्राय एंड सरचार्ज बिल, 1980	(1)28
दि पंजाब लैंड रवैन्यू (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1980	(1)29
नियम 84 के अधीन प्रस्तावों पर चर्चा– (1) वर्श 1978–79 (1–4–1978से31–3–1979) के लिए हरियाणा लोक सेवा आयोग की वार्शिक रिपोर्ट	(1)30
(2) हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड के 1979–80 के वार्शिक वित विवरण (बजट अनुमान)	(1)36
(3) वर्श 1977–78 के लिए हरियाणा कृशि वि ववविद्यालय, हिसार की वार्शिक आडिट रिपोर्ट	(1)53
(4) न्यायाधी ा गुरनाम सिंह जांच आयोग द्वारा दी गई रिपोर्ट	(1)55

हरियाणा विधान सभा

वीरवार, 20 मार्च, 1980(द्वितीय बैठक)

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर – 1, चण्डीगढ़ में, 15.00 बजे हुई। अध्यक्ष (कर्नल राव राम सिंह) ने अध्यक्षता की।

बिल्ज

दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली (अलाउंसिज एंड पैं ान आफ मैम्बर्ज) अमैंडमैंट बिल, 1980

श्री अध्यक्ष : अब मुख्य मंत्री महोदय, हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली (अलाउंसिज एंड पैं ान आफ मैम्बर्ज) अमैंडमैंट बिल, 1980 कंसीडर करने के लिए प्रस्ताव करेंगे।

Chief Minister(Chaudhri Bhajan Lal): Sir, I beg to move-

That the Haryana Legislative Assembly(Allowance and Pension of Members) Amendment Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Haryana Legislative Assembly (Allowance and Pension of Members) Amendment Bill be taken into consideration at once.

चौधरी रिजक राम (राई): स्पीकर साहब, यह बिल जो मुख्य मंत्री जी ने पे ा किया है और अन्य तीन बिल जो लगभग एक से ही है, अभी पे ा होने हैं, सब के बारे मैं संक्षेप से अपने विचार रखना चाहता हूं। जहां तक स्पीकर की पे न ान का ताल्लुक है उसके बारे में मेरी गुजारि ा है कि सन् 1972 से यह कानून है कि जो स्पीकर 1972 से है, उसको क्लास वन आफिसर के बराबर पैन ान दी जाएगी। इस सम्बन्ध में मैं एक बात मुख्य मंत्री के विचार के लिए रखना चाहता हूं। स्पीकर साहब, 3 तारीख से यह सै ान भाुरू हुआ है और आज 20 तारीख है और कल 21 तारीख है। इन 15—16 रोज में जितनी कठिनाई इस हाउस को चलाने में आई है उसकी तरफ मुख्य मंत्री ने पूरा ध्यान नहीं दिया है। आपने देखा होगा कि चौधरी राम लाल, डाक्टर मंगल सैन, चौधरी पोहलू, चौधरी उदय सिंह दलाल और चौधरी गंगा राम इन सब को समझा—बुझा कर रखना कोई आसान काम नहीं है। मैं यह कहे बगैर नहीं रह सकता कि आपको फौज का तजुर्बा है और आपने तोप गोलों के सामने मुकाबला किया है इसलिए ये आपके काबू में आ गए, अगर कोई और आदमी होता तो बीच में छोड़कर भाग गया होता। जब से यह हाउस भाुरू हुआ है देखने में यह आ ाा है कि जब स्पीकर साहब कुर्सी के नजदीक पहुंचते है तो डा0 मंगल सैन को देखकर बड़ा संकोच

करते हैं और जब जाते हैं तो बड़ी तेजी से जाते है जैसे बड़ी मुि कन से इनसे पीछा छुड़ाया हो। जिस वक्त ये कोई चीज पूछते थे तो इनसे बड़ी मुि कल से पीछा छुड़ाया जाता था। मैं समझता हूं कि इस दौरान आपने बड़े हौसलें और बड़ी काबलियत से हाउस को चलाया हैं। इसको देखते हुए आपका कम से कम सौ या दो सौ रूपये का अलाऊंस होना चाहिए और इसी हिसाब से पैन् ान बढ़नी चाहिए। स्पीकर साहब, जहां तक मैम्बर्ज का सवाल है, इनका अलाउन्स बढ़ाते समय बहुत बातों का ध्यान नहीं रखा गया है। हम देखतें हैं कि होस्टल के हरेक कमरे में यह नोटिस लगा हुआ है कि भाराब का पीना बन्द है और सारे मैम्बर्ज ऐसे तो है नहीं जैसे ब्रिगेडियर रण सिंह, चौधरी जगजीत सिंह पोहलू, चौधरी भले राम जिनको कि भाराब से परहेज हो। (व्यवधान) कुछ ऐसे भी लोग है जिनको भाराब के लिए 22 सैक्टर जाना पड़ता है क्योंकि होस्टल मैं मनाही है। तीन–चार रूपए तो स्कूटर वाला जाने के ले लेता है और तीन–चार रूपए आने के लिए ले लेता है। इस प्रकार से आठ–दस रूपए तो स्कूटर वाला ही ले लेता है और बाकी खर्चा अगल रहा। स्पीकर साहब, आप देंखें कि कुछ मैम्बर्ज तो ऐसे है जिनके बाल बच्चे है, और कुछ स्वामी जी और गंगा राम तथा डाक्टर साहब जैसे है। इनके और दूसरे मैम्बर्ज के अलाउन्स एक से हो यह कोई अच्छी बात नहीं है। स्पीकर साहब, यह बात तो ठीक है कि इनकी (स्वामी जी) खुराक और मैम्बर्ज से बहुत ज्यादा है। मुझे इनके एक चेले मिले। उनसे बातचीत हो रही थी। उन्होंने स्वामी जी की खुराक

के बारे में बताया कि स्वामी जी गिनकर फुलकें नहीं खाते। बालिस्त से नाप कर रोटी खाते है। सुबह के वक्त एक बालिस्त, दोपहर के टाईम दो बालिस्त और भााम को तीन बालिस्त रोटी खाते है। मैंने दूध का प्रोग्राम पूछा तो उन्होंने कहा कि अगर घर पर हो तो आध पाव से काम चल जाता है और उस आध पाव में से एक छटांक का दही जमा देते है। अगर कहीं दांव लग जाए तो पांच सेर दूध चाहिए। स्पीकर साहब, इनकी खुराक बहुत ज्यादा है लेकिन आपका भी थोड़ा बहुत तजुर्बा होगा, इनके भक्त इतने है कि इनको घर पर खाने की जरूरत ही नहीं है। स्पीकर साहब, मैम्बर्ज का अलाउन्स बढ़ाते समय मुख्य मंत्री ने एक बात की ओर और ध्यान नहीं दिया। हमारे बहुत से मैम्बर्ज ऐसे है जो कुदरत की तरफ से अपाहिज है इनकी टांगें इधर उधर मुड़ नहीं सकती और बगैर सहारे के वे चल नहीं सकते। ऐसे मैम्बर्ज का अलाउन्स लाजमी तौर पर ज्यादा होना चाहिए। स्पीकर साहब, मैं ज्यादा न कहते हुए, मुख्य मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा, एक दो बाते और रह गई है जिनको मैं कहना चाहता हूं। मुख्य मंत्री महोदय ने अलाउन्स देते समय उम्र का ख्याल नहीं रखा है। बहुत से ऐसे मैम्बर्ज है जैसे मैं हूं, वर्मा साहब है और बहुत से है जिनकी काफी उम्र है लेकिन गंगा राम और स्वामी जी जैसे भी मैम्बर्ज है जिनको कोई बात अचानक हो जाए तो हो जाए वरना ये सौ साल से पहले मरने वाले नहीं है।

वे तो 100 साल तक पैन् ान खांएगे और हम जैसे लोग तो भाायद पांच सात सालों में ही फारिग हो जाएंगे। इसलिये स्पीकर साहब, मेरी आप से रिक्वैस्ट है कि इस तरह से सारी बातों को ध्यान रख कर ही पैन् ान वगैरह दी जाए। कम से कम आप उम्र वगैरह का ध्यान अव य रखें। अगर उम्र का हिसाब किताब न रखा गया तो आप देखेंगे कि कुछ मेम्बर काफी देर तक इस पैन् ान का फायदा उठांएगे। स्पीकर साहब, अब मैं मुख्य मंत्री महोदय और मंत्रियों के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। जितनी तनख्वाह अभी वजीरों को मिल रही है उससे भी ज्यादा मिलनी चाहिये। मुख्य मंत्री महोदय ने तो पिछले पांच सात महीनों से जो काम करके दिखाया है, उन के काम को ध्यान मैं रखते हुए उनको नोबिल प्राइज मिलना चाहिये वे इस प्राइज के हकदार हैं क्योंकि इन्होंने इन असुरों से पीछा छुड़वाया है। (हंसी)

स्पीकर साहब, आपने सर्कस वगैरह भी देखी होगी, खिलाड़ी का खेल भी देखा होगा। पहलवान को लम्बी से लम्बी छलांग भी लगाते देखा होगा उसी तरह से आपने देखा कि हमारे मुख्य मंत्री अपने साथ 47 आदमी लेकर कैसे छलांग लगााकर कुद गये ऐसा काम तो बड़े से बड़े हन्टर वाला ही कर सकता है। (हंसी एवं भाोर) इन भाब्दों के साथ स्पीकर साहब, मैं ज्यादा न कहता हुआ सरकार से इतना कहूंगा कि जो सुझाव मैंनें यहां पर रखे है, उनको अव य ध्यान में रखा जाए और इस बिल को पास किया जाए।

Mr. Speaker: Question is-

That the Haryana Legislative Assembly (Allowance and Pension of Members) Amendment Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the House will take up the Bill clause by clause.

Clauses 2 and 1

Mr. Speaker: Question is-

That clauses 2 and 1 stand part of the Bill

The motion was carried.

Enacting Formula and Title.

Mr. Speaker: Question is-

That Enacting Formula and Title be the Enacting Formulat and the Title of the Bill

The motion was carried.

Chief Minister (Chaudhri Bhajan Lal) : Sir, I beg to move-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is-

That the Bill be passed.

The motion was carried.

दि हरियाणा लेजिस्लेटिव असेम्बली (अलाउंसीज एंड पेन्शन आफ मैम्बर्ज) सैकिंड अमैंडमैंट बिल, 1980

Chief Minister(Chaudhri Bhajan Lal): Sir, I be to move-

That the Haryana Legislative Assembly(Allowances and Pension of Members) Second Amendment Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members)Second Amendment Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is-

That the Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members)Second Amendment Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the House will take up the Bill clause by clause.

Sub-clause (2)of Clause 1

Mr. Speaker: Question is-

That sub-clause(2) of clause I stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 2

Mr. Speaker: There is an amendment to clause 2 by the Hon. Chief Minister. He may please move the amendment.

Chief Minister (Chaudhari Bhajan Lal): Sir I beg to move-

That in clause 2 of the Bill for the words “three hundred rupees”, substitude the words “five hundred rupees”.

Mr. Speaker: Motion moved-

That in clause 2 of the Bill for the words “three hundred rupees”, substitude the words “five hundred rupees”.

Mr. Speaker: Question is-

That in clause 2 of the Bill for the words “three hundred rupees”, substitude the words “five hundred rupees”.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is-

The clause 2, as amended, stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker: Question is-

That clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Sub-clause(1) of Clause 1

Mr. Speaker: Question is-

That sub-clause(1) of clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Chief Minister(Chaudhri Bhajan Lal**) :** Sir, I beg to move-

That the Bill, as amended be passed.

Mr. Speaker: Motion was moved-

That the Bill, as amended, be passed.

Mr. Speaker: Question is-

That the Bill, as amended, be passed.

That motion was carried.

दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली स्पीकर्ज पैन्शन एंड मैडीकल फैसिलिटीज (अमैंडमैंट) बिल, 1980.

Chief Minister(Chaudhri Bhajan Lal**):** Sir, I beg to move-

That the Haryana Legislative Assembly Speaker's Pension and Medical Facilities(Amendment) Bill be taken into consider at once.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Haryana Legislative Assembly Speaker's Pension and Medical Facilities(Amendment) Bill be taken into consider at once.

Mr. Speaker: Question is-

That the Haryana Legislative Assembly Speaker's Pension and Medical Facilities(Amendment) Bill be taken into consider at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the House will take up the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker: Question is-

That clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker: Question is-

That clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is-

That clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is-

Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Chief Minister(Chaudhri Bhajan Lal): Sir, I beg to move-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is-

That the Bill be passed.

The motion was carried.

दि हरियाणा सैलरीज एंड अलांउसिज आफ मिनिस्टर्ज (अमैंडमैंट) बिल, 1980

Chief Minister(Chaudhri Bhajan Lal): Sir, I be to move-

That the Haryana Salaries and Allowances of Ministers (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Haryana Salaries and Allowances of Ministers (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is-

That the Haryana Salaries and Allowances of Ministers (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried

Mr. Speaker: Now the House will take up the Bill clause by clause.

Sub-clause(2) of Clause 1

Mr. Speaker: Question is-

That sub-clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is-

That clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Sub-clause (1) of Clause 1

Mr. Speaker: Question is-

That sub-clause(1) of clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Chief Minister(Chaudhri Bhajan Lal): Sir, I beg to move-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is-

That the Bill be passed.

The motion was carried.

दि पंजाब प्रोहिबी ान आफ काऊ स्लाटर (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1980

श्री अध्यक्षः मुझे चौधरी राम लाल वधवा और श्रीमती डा0 कमला वर्मा, एम0एल0एज0 द्वारा पंजाब प्रोहिबी ान आफ काऊ स्लाटर (हरियाणा अमैंडमैंट) आर्डिनैंस, 1979 (हरियाणा आर्डिनैंस नम्बर 12 आफ 1979) की डिसएप्रूवल यानी नामंजूरी का नोटिस मिला है। यदि हाउस सहमत हो तो हाउस का समय बचाने के लिये इस प्रस्ताव पर तथा बिल की कंसिड्रे ान मो ान पर इकट्छा विचार कर लिया जाए।

आवाजें : ठीक है जी।

Chaudhri Ram Lal Wadhwa (Karnal): Sir, I beg to move-

That this House disapproved the Punjab Prohibition of Cow Slaughter (Haryana Amendment) Ordinance, 1979(Haryana Ordinance No. 12 of 1979).

Mr. Speaker: Motion moved-

That this House disapproved the Punjab Prohibition of Cow Slaughter (Haryana Amendment) Ordinance, 1979(Haryana Ordinance No. 12 of 1979).

Jails and Dairy Development Minister(Chaudhri Shiv Ram Verma): Sir, I beg to move-

That the Punjab Prohibition of Cow Slaughter (Haryana Amendment)Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Punjab Prohibition of Cow Slaughter (Haryana Amendment)Bill be taken into consideration at once.

(At this stage the Deputy Speaker occupied the Chair)

चौधरी राम लाल वधवा: डिप्टी स्पीकर साहब, मैंने इस बिल की डिसएप्रूवल का नोटिस इसलिये दिया कि चौधरी ि ाव राम वर्मा जी, जो अब मंत्री है और उन्होंने यह बिल पे ा किया है, ये और मैं पहले इकट्ठे अपोजी ान में थे। उस वक्त हम दोनों ही मिलकर यह आवाज जोर से उठाया करते थे कि गऊ के

बाहर भेजने पर मुक्कमल तौर पर पाबंदी लगाई जाए। लेकिन आज जब यह बिल आया तो मुझे बड़ा दु:ख हुआ। यह बिल ऐसा नहीं है कि जिस पर नुक्ताचीनी की गर्ज से कुछ कहा जाए। लेकिन मैं आपके द्वारा मंत्री जी से यह कहूंगा कि जो बात वह पहले कहा करते थे उसको माने। उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल की क्लाज 3 की सैक ान 4 ए में लिखा है–

"4A. Restriction on export of cow.- No person shall export or cause to be exported cow for the purpose of slaughter either directly or acting on his behalf in contravention of the provisions of this Act or with the knowledge that it will be or it was likely to be slaughtered."

उपाध्यक्ष महोदय, यह ऐसी क्लाज रख दी जिससे गउओं की एक्सपोर्ट बन्द ही नहीं हो सकती। आप एक चीज देखें कि इस चीज को कौन देखेगा कि जो गऊ ले जाई जा रही उसका वध नहीं होगा। इस तरीके से आगे सैक ान 4–बी लगई है। इससे बिल का सारा मकसद ही खत्म हो जाता है। इसमें लिखा है–

"4-B. Permit for export.-(1) Any person desiring to export cows shall apply for a permit to such officer, as the Government may, by notification, appoint in this behalf, stating the reasons for which they are to be exported together-with the number of cows and the name of the State to which they are proposed to be exported. He shall also file a declartion that the cows fow which the permit for export is required shall not be slaughtered.

(2) The officer appointed under sub-section (1), after satisfying himself about the genuineness of the request of the applicant, shall grant him a permit for the export of cows specified in the application.

(3) The fee for issuing permits shall be such as may be prescribed."

यानी एक डिकलेरे ान लिख कर देनी पड़ेगी कि एक्सपोर्ट गो–क ाी के लिये नहीं होगा। तो डिकलेरे ान के बाद परमिट देने की पावर किसी अफसर के पास होगी। ऐसा करने से गौ–क ाी बन्द नहीं होगी। इसलिये सरकार इस बिल को वापिस ले ले और सरकार मुकम्मल तौर पर एक बिल लेकर आए। उपाध्यक्ष महोदय, आप इससे भी अगर आगे देखें, क्लोज 4–सी में जो लिखा है, उसमैं तो इन्होंने कमाल ही कर दिया। इसमें लिखते है कि–

"4-C Special Permits- The Government shall have the power to issue special permits for export of cows in cases where it is of the opinion that it will be in the public interest to do so."

यानी अगर यह पब्लिक इन्ट्रैस्ट मैं होगा तो गवर्नमैंट स्पै ाल परमिट भी जारी कर सकती है। मैं एक बात जानना चाहता हूं कि यह कैसे डिफाइन करेंगे कि फलां काऊ दूध देने वाली है या दूध देने वाली नहीं है? इस बिल मैं जितनी भी क्लाजिज हैं वे इस बिल को लाने की भावना को खत्म करती है। मिनिस्टर साहब मेरे बुजुर्ग दोस्त है और मैं उनकी भावनाओं की

कदर करता हूं, लेकिन अफसरों ने जो बिल बनाया अगर ये उसे ध्यान से देखते तो ये खुद समझ जाते कि इस में गड़बड़ है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस बिल को वापिस लेकर एक मुकम्मल तौर पर बैन लगाने कि लिए बिल लाया जाये तभी अच्छा होगा।

सुरेन्द्र सिंह (तो ाम) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रोहिबी ान आफ काऊ सलाटर बिल सदन के सामने आया है और मेरे सम्मानित सदस्य चौधरी राम लाल वधवा जी ने इसके ऊपर अपने विचार रखें हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यदि इस बिल पर अच्छी तरह से विचार किया जाये तो यह जो अमैंडमैंट सैंक ान 4 ए के बाद सैक ान 4 बी जोड़ी गई है उससे सैक ान 4ए की भावना बिल्कुल ही बेकार हो जाती है यदि इस बिल को पास ही करना है तो इसके ऊपर बहस करने की जरूरत ही नहीं है। इस पर सीधे ही वोट डलवा ली जाती और पास करवा लिया जाता तो ठीक था। उपाध्यक्ष महोदय, पहले भी कई दफा यहां हाउस मैं यह जिक्र करते रहे कि गो–हत्या बंद करनी चाहिए और इसका हरियाणा से एक्सपोर्ट नहीं करना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, जो व्यक्ति पहले भी वजीर थे और अब भी वजीर हैं, वे इस बात का आ वासन दिलाते थे कि हम गो–हत्या को बिल्कुल बंद करेंगे। जो गऊएं दूसरे प्रान्तों में एक्सपोर्ट होती है वे बिल्कुल बंद करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि सैक ान 4बी में सीधा लिख दिया है कि परमिट ले करके गऊंए

बाहर ले जाई जा सकती है लेकिन देखने की बात यह है कि जिस अफसर को परमिट देने के लिए नियुक्त किया जाएगा वह किस लैवल का होगा और वह कैसे तसल्ली करेगा कि जिन गऊओं के एक्सपोर्ट के लिए परमिट दिया जाएगा, उनका सलाटर नहीं किया जाएगा? उपाध्यक्ष महोदय एक बात तो मैं मान सकता हूं कि हरियाणा प्रान्त को कोई आदमी सर्विस में हो और उसका तबादला रोहतक से दिल्ली हो जाए तो वह अपने सामान के साथ एक या दो गायें अपने साथ ही ले जाए लेकिन जो परमिट सिस्टम है उसमें यह क्लीयर नहीं किया गया है कि वह कितनी गाय ले जा सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल के लाने से सरकार की इनटैन ान पर भाक नहीं करता कि वह गऊओं के सलाटर के लिए ही परमिट देगी लेकिन इस बिल में इसके बारे में कोई क्लीयर आ वासन नहीं है और न ही यह बताया गया है कि वे कौन–कौन से कारण होंगे जिनके तहत गऊओं का एक्सपोर्ट हो सकता है और कितनी गऊएं ले जाई जा सकती है इस तरह से जो सैक ान 4ए है वह सैक ान 4बी के कारण बिल्कुल ही बेकार हो जाता है। इसलिए मैं सरकार से रिक्वैस्ट करूंगा कि वह इस बिल को वापिस ले और ऐसा बिल लाए जिसमें प ुओं के एक्सपोर्ट करने के कारण क्लीअर दिखाए हों।

चौधरी संत कंवर (हसनगढ़) : डिप्टी स्पीकर साहब, मैं प्रोहिबी ान आफ काऊ सलाटर बिल पर अपने विचार रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं चाहूंगा कि इस बिल

में एक क्लाज और जोड़ी जानी चाहिए थी और वह यह है कि हिन्दुस्तान में जिन स्टेटस के अन्दर गोहत्या पर सरकार की तरफ से कोई प्रतिबंध नहीं है, उन स्ट्रेटस के लिए जो सरकार ने परमिट जारी करना है वह न किया जाए। जैसे बंगाल और केरला में सरकार की तरफ से गो–हत्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है और वे लोग इस परमिट के जरिए यहां से गउएं ले जाएंगे और वहां ले जाकर वे लोग उनका सलाटर कर देंगे। डिप्टी स्पीकर साहब, इसमें यह भी गुन्जाइ ा नहीं रखी है कि परमिट के जरिए कितनी संख्या में गऊएं बाहर ले जाई जा सकती है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम इस बिल में यह क्लाज जोड़ दी जाए कि जिन स्ट्रेटस के अन्दर गो–वध पर कोई प्रतिबंध नहीं है उन स्टेटस में हमारी गऊएं एक्सपोर्ट नहीं की जानी चाहिए। डिप्टी स्पीकर साहब, बाकी जो मेरे भाई चौधरी राम लाल वधवा जी और श्री सुरेन्द्र सिंह जी ने कहा कि हरियाण से गऊएं बाहर जाने पर बिल्कुल प्रतिबंध हो, मैं इस राय का नहीं हूं। ये चाहते है कि गऊओं का हिन्दुस्तान में एक्सपोर्ट न किया जाए लेकिन चूंकि हरियाणा में कृशि के साथ साथ प ाुधन का बहुत महत्व है, इसलिए यदि प ाुओं का एक्सपोर्ट बंद कर देंगे तो वे लोग जो प ाुपालन पर गुजारा करते है उनको बड़ी मु ि कल का सामना करना पड़ेगा। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं सरकार से और खास करके मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इस बिल में इस बात का सं ाोधन करें कि जिन स्ट्रेटस के

अन्दर गो–वध पर प्रतिबंध नहीं है उन स्ट्रेटस के लिए यह परमिट जारी न करें।

चौधरी हरस्वरूप बूराः उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक यह बिल लाने की बात है और पीछे सरकार की जो भावना है, उसका तो मैं समर्थन करता हूं लेकिन यह बिल कम्पलीट नहीं है। इस बिल में सैक ान 4ए, 4बी और 4सी जिस रूप में लाए गए हैं इनसे बिल को लाने का कोई मकसद ही नहीं रह जाता। उपाध्यक्ष महोदय, सैक ान 4बी में डिक्लेरे ान दे करके कोई भी व्यक्ति गऊओं को बाहर ले जा सकता है। आप सब लोग रोजाना देखते है कि लोग कोर्टस में ओथ लेते है और एफिडेविट देते है लेकिन ओथ लेने के बावजूद भी वे कई गलत काम करते है और उनके ऊपर कोई एक ान नहीं होता है। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इस डिक्लेरे ान में भी इसी तरह गड़बड़ हो सकती है और गऊओं को कहीं भी ले जाकर कटवाया जा सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरी सरकार से यही प्रार्थना है कि गऊओं के एक्सपोर्ट पर बिल्कुल बैन होना चाहिए ताकि कटने से बचें। जिस तरह से यह बिल लाया गया है इससे मैं समझता हूं कि बिल का सही मकसद पूरा नहीं होता। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने सैक ान 4सी को डिलीट करने के लिए अमैंडमैंट दी है क्योंकि इस सैक ान में लिखा है कि पब्लिक इन्ट्रैस्ट पर कोई भी व्यक्ति स्पे ाली परमिट ले सकता है लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि पब्लिक इन्ट्रस्ट इससे बढ़ करके क्या हो सकता है कि गाय कटने से बचें। यही

पब्लिक इन्ट्रस्ट है। इसलिए मैं सरकार से गुजारि ा करूंगा कि वह इस बिल को वापिस ले।

श्री कंवल सिंह(धिराय) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कलाज 3 के सैक ान 4बी की सब–सैक ान (1) में अमैंडमैंट दी है। उपाध्यक्ष महोदय, आपको पता है कि हरियाणा स्टेट के अन्दर कृशि के बाद किसानों के जीवन निर्वाह के लिए प ुधन उनका एक दूसरा साधन है। उपाध्यक्ष महोदय, सही फिगर्ज तो मैं नहीं बता सकूंगा लेकिन हर महीने पंजाब और हरियाणा से हजारों की संख्या में गऊएं कलकता और बम्बई जाती है। इसलिए जरूरी है कि किसानों की आर्थिक स्थिति को ठीक रखने के लिए प ुधन का एक्सपोर्ट तो हो और खास कर उन प ुओं का हो जो दूध देते है। डिप्टी स्पीकर साहब, आपको मालूम है कि बंगाल और केरला के अन्दर गो–वध पर बैन नहीं है खासकर कलकता में यह होता है कि दूध देने वाली गऊंए यहां से ले जाई जाती है और वहां ले जाकर उन गऊओं को हारमोन का टीका लगा देते है जिनके कारण गऊएं दो साल तक दूध देती है। इस टीके के लकटेस पीरियड बढ़ने के साथ–साथ प ु का बाडी–वेट भी बहुत बढ़ जाता है। दो साल के बाद उस व्यापारी का केवल यही इन्ट्रस्ट रह जाता है कि वह उसको किसी दूसरे व्यक्ति को दे दें और वह व्यक्ति उसको कटवाने के लिए भिजवा देता है। इसलिए डिप्टी स्पीकर साहब, मैं समझता हूं कि इस अमैंडमैंट के जरिए डैक्लेरे ान की जो बात कही गई है कि वह दूसरे प्रदे ा में ले

जाकर गऊ को स्लाटर नहीं करेगा, इससे गऊ स्लाटर बंद नहीं होगी। इसकी जगह यह करना चाहिए, चाहे डायरैक्टली करो चाहे इंडायरैक्टली करो, स्टेट के बाहर गऊंए एक्सपोर्ट नहीं होनी चाहिए, खास तौर पर मिल्क काऊज पर स्टेट से बाहर जाने पर पाबन्दी लगानी चाहिए। व्यापारी जब परमिट लेता है तो उसके मन में गऊ वध की भावना डायरैक्टली या इंडायरैक्टली जरूर रहती है और इस भावना को रोकने के लिए स्टेट से बाहर उन स्टेटों में जाने पर पाबन्दी लगानी चाहिए। इसके इलावा इस बिल में गुनाहगार की सजा स्पैसिफाई नहीं की गई है। अगर कोई बाहर ले जाकर गऊ कटवाता है तो उसको सजा मिलने का प्रोवीजन बिल में होना चाहिए।

चौधरी बिरेंद्र सिंह(उचाना कलां) : डिप्टी स्पीकर साहब, पंजाब प्रोहिबी ान आफ काऊ–स्लाटर (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल सदन में विचाराधीन है इसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि जहां हम गऊ के साथ धार्मिक तौर पर जुड़े है, हिन्दु समाज में गऊ का नाम बड़े आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है वहां गऊ हमारे हरियाणा मैं प ुधन भी है। खास तौर पर छोटे किसानों के लिए यह बड़ा उपयोगी धन हैं छोटे किसान को जिस तरह फसल से आमदनी होती है, भाायद इससे भी जयादा आमदनी इस प ुधन से होती है और अपना गुजारा करता है। उपाध्यक्ष महोदय, सदन में मेरे भाई, खास तोर पर जो भाहरों का प्रतिनिधित्व करते है, वह एक घअक है जिसका जनता पार्टी से

संबंध है, यहां चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि गऊ हमारी माता है। (चौधरी राम लाल जी की तरफ से विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, मेरे लायक साथी ने बैल के बारे में कहा है, मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि बैल हमारे हरियाणा की प्रगति का प्रतीक है। मैं इनसे पूछता हूं कि पिछलें अढ़ाई सालों में, तुमने अपने भासनकाल में गऊ की प्रगति के लिए क्या किया? भाहरों की जिल कोठियों और हवेलियों में ये लोग रहते है, वहां इन गऊओं का हाल आपने देखा ही होगा। मैं एक मिसाल देना चाहता हूं। हमारे माननीय सदस्य श्री रघुनाथ गोयल गऊ रखते है। दूध निकालने के टाईम पर गऊ को बाजार से पकड़ कर ले जाते है और दूध निकालने के बाद बाजार में छोड़ देते हैं, खाने के लिए कुछ नहीं दिया जाता है। गऊ सब्जियों और फलों के छिलके खा कर गुजार करती है और दूध ये पीते है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे साथी हरियाणा के किसी भाहर में चल पड़ें, रईसों के सैकड़ों घर ऐसे है जहां गऊ का दूध निकालने के बाद उसको बाजार में छोड़ दिया जाता है और फलों के छिलके खाकर गुजारा करती है। (व्यवधान) जिस भावना से ये लोग गऊ पालते है मैं वह भावना बता रहा हूं।

श्री रघुनाथ गोयल : अगर ऐसी बात है तो सरकार को गऊओं के लिए चरागाह छोड़ने चाहिए ताकि गऊएं वहां चर सकें। (व्यवधान)

चौधरी बिरेंद्र सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल में सैक ान 4सी में गऊओं को दूसरे प्रान्तों में ले जाने के लिए परमिट इ ू करने का प्रोवीजन किया गया है सैक ान 4सी में लिखा है–

"The Government shall have the power to issue special permits for export of cows in cases where it is of the opinion that it will be in the public interest to do so."

सैक ान 4ए जहां रिस्ट्रिक ान आन एक्सपोर्ट आफ काऊ लिखा है वहां यह लिखा है–

"No person shall export or cause to be exported cow for the purpose of slaughter....."

स्पै ाल परमिट देने की जो क्लोज है इसमें गवर्नमैंट को पावर दी गई है कि वह किसी को भी स्पै ाल परमिट इ ू कर सकती है। उपाध्यक्ष महोदय, स्पै ाल परमिट देने का क्या मतलब है, यह मैं नहीं समझ सका, इसका मतलब बिल में कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया।

Mr. Deputy Speaker: Your are referring to the samething.

Chaudhri Birinder Singh: That does not mean the same thing.

डिप्टी स्पीकर साहब, सैक ान 4ए के अन्दर गऊ स्लाटर के बारे में स्पै ाल मैं ान किया गया है लेकिन सैक ान 4सी में स्लाटर का लफ्ज नहीं है। इसमें लिखा है–

"The Government shall have the power to issue special permits for export of cows in cases where it is of the opinion that it will be in the public interest to do so."

सैक ान 4सी में भी यह लफ्ज इन्सर्ट होना चाहिए, स्पैसिफाई होना चाहिए कि स्पै ाल परमिट गऊ स्लाटर के नाम से नहीं दिए जा सकते। स्पै ाल परमिट जो मिलेगे वह किसी भी पेपर्ज के लिए हो सकता है, गऊ स्लाटर भी हो सकता हैं, नहीं भी हो सकता, इसलिए यह क्लाज कन्फयूजिंग है। उपाध्यक्ष महोदय, इसके इलावा दूसरी बात सैक ान 9बी में लिखा है कि जो आफिसर परमिट इ ू करने के लिए डिप्यूट किया जाएगा, अगर वह किसी गलत आदमी को परमिट इ ू करता है तो उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। ऐसे आफिसर के लिए कोई प्रासीक्यु ान ब्रांच नहीं है जिसके तहत उसको सजा दी जा सके। मेरे कहने का मतलब यह है कि उस आफिसर को यहां तक छूट दे दी गई है कि वह गलत परमिट इ ू कर सकता है और स्लाटर के लिए अगर गऊएं भी भेज दे तो भी उसके खिलाफ प्रासीक्यु ान नहीं हो सकती। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस बिल में प्रासीक्यु ान का प्रोवीजन होना चाहिए ताकि जिस आदमी को परमिट इ ू हो जाए, वह उस परमि ान का दुरूपयोग न कर सके।

श्रीमती डा0 कमला वर्मा(यमुनानगर) : उपाध्यक्ष महोदय, एक बड़े अच्छे वातावरण के अन्दर पंजाब निशेध (हरियाणा सं ाोधन) विधेयक, 1980 पर विचार चल रहा है जिसके अन्दर एक सद्भावना है लेकिन अब चौधरी बिरेंद्र सिंह ने घटकवाद के फोबिये के कारण वह सद्भावना जो इस अधिनियम के साथ जुड़ी हुई है, उसको भी समाप्त करने की कोि ा ा की। खैर, मैं उस तरफ न जाते हुए यह कहना चाहती हूं कि गाया हमारी आर्थिक स्वतंत्रता का एक साधन है। दे ा की स्वतंत्रता के बाद आर्थिक स्वतंत्रता हेतु गाय के लिए मान का बढ़ना और भी स्वाभाविक बात है क्योंकि महात्मा गांधी जी भी गाय को मां मानकर चलते थे। गाय हमारी मान बिंदु है। उपाध्यक्ष महोदय, गाय का परिवार के पालन पोशण के अन्दर बहुत अहम स्थान है। वह हमें अमृत जैसा दूध देती है। इसकी हर वस्तु आयुर्वैदिक विज्ञान के अनुसार पंचगव्य के नाम से औशधि के काम आती है। कहने का तात्पर्य यह कि गाय का दूध, मट्ठा, घी और मूत्र आदि मानव के पालन पोशण के लिए इतने उपयुक्त है जिसका कोई मुकाबला नहीं। इसलिए इसको मां कहकर, इसके दूध को अमृत जैसा मानकर, यह अधिनियम बनाया गया हैं। वैसे भी हरियाणा एक तपोभूमि है और कृशि प्रधान प्रान्त है। इस कृशि प्रधान प्रान्त में गाय का पालन पोशण होना, गाय के लिए मान मर्यादा होना और गाय के लिए प्रेम होना एक स्वाभाविक बात है। लेकिन कौन नहीं जानता कि हरियाणा से बाहर भेजी जाने वाली गाय जब दूध देना बंद कर देती है तो वह बम्बई और कलकता के अन्दर

बुचड़खानों में काटी जाती है। चमड़े के कारखाने वाले भी, उपाध्यक्ष महोदय, बुढ़ी गाय का चमड़ा नहीं लेते। ये जो बड़े बड़े सूट केस या जूते आदि बनते है, ये सारी चीजें जवान गऊओं के बछड़ों और गाउओं के चमड़े सक बनते है। आप जाकर देखें कि कलकता के अन्दर किसा प्रकार गउओं को काटा जाता है। उबलते पानी के फव्वारे उनके भारीर पर छोड़े जाते है। जिससे चमड़ा उफन कर नरम पड़ जाता है। यह सारी दर्दनाक कहानी सारे दे ा की अर्थव्यवस्था को नश्ट–भ्रश्ट करने वाली है। उपाध्यक्ष महोदय, यह जो अधिनियम बनाया गया है इसमें कई लूप–होल्ज है। इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि केवल बूढ़ी गउएं, जो दूध नहीं देती, बाहर भेजी जाएगी। इनको यह मालूम होना चाहिए कि अच्छी पली हुई गउओं को भी, जो दूध नहीं देती है, व्यापारी लोग हरियाणा से बाहर ले जा सकेंगे। इसलिए मैं तो यह कहूंगी कि यह जो सैक ान 4सी है, इसमें आप एक छूट दे रहे है कि कोई भी व्यक्ति परमिट लेकर हरियाणा की अच्छी गउओं को बाहर ले जा सकेगा इससे आप सोच सकते है कि हरियाणा की कृशि के ऊपर कितना असर पड़ेगा? उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो यह सोचती हूं कि जिनके पास केवल दो चार किल्ले भूमि है, जो केवल बैलों के माध्यम से अपनी भूमि को जोतते है, उनको इस बिल से बड़ी हानि होगी। जब जवान बछड़े और बछड़ियां बाहर चली जाएंगी तो हरियाणा की कृशि और अर्थ–व्यवस्था को धक्का पहुंचेगा। इसलिए इस बिल के अन्दर सुधार होना चाहिए। यह जो गाय को निर्यात करने की छूट है,

यह तो खुल्लमखुला एक लाईसैन्स देने की बात है। इसके अन्दर यह प्रावधान होना चाहिए कि हरियाणा से अच्छी गाय बाहर नहीं जाएगी। अगर यह सचमुच महात्मा गांधी जी को पूज्य मानते है तो इनको उनकी इच्छाओं का पालन करना चाहिए। महात्मा गांधी जी तो गऊ माता के वध पर सारे दे ा में प्रतिबंध लगवाना चाहते थे। इन भाब्दों के साथ उपाध्यक्ष महोदय मैं अपना स्थान लेती हूं।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू (पाई): डिप्टी स्पीकर साहब, आज हमारे हरियाणा के इतिहास में बहुत बड़ी खु ाी का दिन है। आज 32–33 साल दे ा को आजाद हुए हो गए लेकिन आज से पहले कभी इस बात का हाउस में जिक्र नहीं आया। आज जो काऊ स्लाटर पर प्रतिबंध लगाने का बिल यहां आया है, इसके लिए मैं अपनी सरकार को, खास तैर पर मुख्य मंत्री भजन लाल जी को और मंत्री महोदय श्री ि ावराम जी को मुबारिकबाद देता हूं। डिप्टी स्पीकर साहब, हरियाणा ऋशियों की भूमि है। यहां सारे लोग गऊ को माता मानते है। अंग्रजों के टाईम में खुल्लमखुला गउएं काटी जाती थी लेकिन हरियाणा में चौधरी हरफूल सिंह जो जुलाना का रहने वाला था, एक ऐसा व्यक्ति था जो गउओं की रक्षा करने में सबसे आगे रहता था। उसने कई हत्थे भी तुड़वाऐ। (विघ्न) मैंने भी अपनी सारी की सारी जवान गउओं की सेवा करने में और हरिजनों की सेवा करने में लगाई है। मैं गउओं को छुड़ाता था और उनके ले जा कर गउ ाला

में छोड़ता था। डिप्टी स्पीकर साहब, चीफ मिनिस्टर साहब भी गऊओं के हित में बहुत ज्यादा सोचते है। (विघ्न) इसलिए मैं कहूंगा कि यह बिल बहुत अच्छा है। इसको अव य एक्ट बनाया जाना चाहिए लेकिन मैं चाहूंगा कि जो ड्राई फार्म खोलने का प्रोवीजन नहीं रखा गया है वह अव य रखना चाहिए। मेरा यह सुझाव है कि हरेक डिस्ट्रिक समें एक ड्राई केटल फार्म बनाया जाए। मुझे इस बात का दु:ख है, चाहे वह भाहर है या देहात है, बहुत से लोग गऊ माताओं को उनका दूध पीकर, उनके थनों को चूसकर खुला छोड़ देते है। उन सारी गउओं को सरकार को अपने ड्राई फार्म में रखना चाहिए। (विघ्न) डिप्टी स्पीकर साहब, मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता कि सैक ान 4सी बिल्कुल डिफैक्टिव है। इसमें कहा गया है कि–

"The Government shall have the power to issue special permits for export of cows in cases where it is of the opinion that it will be in the public interest to do so."

डिप्टी स्पीकर साहब, इसमें मिलच कैटल और ड्राई कैटल में भी फर्क नहीं डाला गया है। (विघ्न) मैं इस बात को समझता हूं क्योंकि मैं इस महकमें का वजीर रह चुका हूं। इसमें यह आना चाहिए कि मिल्च कैटल को एक्सपोर्ट किया जाए ड्राई कैटल न किया जाए। छोटी बछियों को ड्राई फार्म में, जैसे कि हिसार में, एक फार्म है, रखा जाए ताकि दुबारा वे गउएं दूध देने के काबिल हो सकें। इसके अलावा मेरा यह भी सुझाव है कि 10 एकड़ तक भमि के जो मालिक है उनको ट्रैक्टर लेने की इजाजत

नहीं देनी चाहिए। उनको चाहिए कि वे तगड़े–तगड़े बैल रखकर अपनी जमीन को जोतें। (विघ्न) डिप्टी स्पीकर साहब, मैं चाहूंगा कि सरकार इस बिल को आज तो वासि ले ले लेकिन बाद मैं इसको री–ड्राफ्ट करके कमेटी से अप्रूव करवाये। उस कमेटी का एक मैं मैम्बर हूंगा, एक आप हों, एक दो कोई और हों, उस के बाद बिल को रीड्राफ्ट करके हाउस मैं ले आएं और पास करवा ले। यह बड़ा इम्पोर्टैन्ट बिल है। डाक्टर मंगल सैन जी जब मिनिस्टर थे और चौधरी देवी लाल जी जब चीफ मिनिस्टर थें, इन्होंने कभी इस तरह का बिल पे ा करने का नाम तक नहीं लिया। (विघ्न) हम तो सिफारि ा करेंगे और प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी जी को मनाएंगे कि सारे दे ा में गऊवध बंद किया जाए।

श्री बिरेंद्र सिंह (नारनौंद): डिप्टी स्पीकर साहब, यह जो बिल पे ा किया गया है इसके औबजैक ान ऐंड रीजन्ज को आप पढ़िए और इसके बाद कलाज 3 के नीचे सैक ान 4सी को पढ़िए। आप पे ो से वकील है, पढ़ते ही समझ जायेंगे कि बिल में क्या कमी है। यह इतना बैडली ड्राफ्टिड बिल है जिसका कोई हिसाब नहीं। मैं निवेदन करूंगा कि इसको वापिस ले लेना चाहिए। स्टेटमैंट आफ ओबजैक्टस एंड रीजन्ज में लिखा है–

"Under the Punjab Prohibition of Cow Slaughter Act, 1955, applicable to the State of Haryana there was no ban on the transport of cows outside the State to Slaughter houses at places where there are not restrictions on the slaughter of cows....."

अब आप सैक ान 4सी को पढ़िए। इसमें लिखा है–

"The Government shall have the power to issue special permits for export of cows in cases where it is of the opinion that it will be in the public interest to do so."

इन्टैं ान सरकार की यह है कि काऊ का एक्सपोर्ट स्लाटरिंग के लिए न हो। लेकिन सैक ान 4सी में सरकार ने अपने पास पावर रखी है कि अगर वह पब्लिक इंट्रैस्ट में हो तो स्लाटरिंग के लिए भी गऊओं का एक्सपोर्ट करेंगे। इससे साफ जाहिर है कि सैक ान 4सी स्टेटमैंट आफ औबजैक्टस एंड रीजन्ज की कंट्रवैन ान करता है। इसको डिलीट करना ही चाहिए। मैं चाहूंगा कि चौधरी कंवल सिंह जी ने जो बेहतरीन अमैंडमैंट मूव की है, वह मान ली जानी चाहिए क्योंकि हम सबका पर्पज एक है। सरकार का भी यह नजरिया नजर आता है और विपक्षी दल का भी यही है कि गऊ वध पर प्रतिबंध लगाया जाये। प ाुधन भी बहुत बड़ा धन है। हम यह कतई तौर पर बर्दास्त नहीं कर सकते कि गायों का ही एक्सपोर्ट बिल्कुल न हो। गायों का एक्सपोर्ट होना चाहिए लेकिन दो स्टेट्स भारतवर्श में ऐसी है जहां पर काऊ सलाटर लीगली तोर पर बंद नहीं किया गया है। एक तो केरल दूसरी पि चमी बंगाल है जहां पर गऊ स्लाटर पर प्रतिबंध नहीं है। इसलिए मेरी सरकार से दरखास्त है कि इसबिल की वर्डिंग को बेहतरीन ढ़ंग से ही री–ड्राफ्ट करके दुबारा पे ा किया जाये। इस में यह अमैंडमैंट भी हो कि केरल और बंगाल के अन्दर जहां इस किस्म का बैन नहीं है, वहां पर गायों का एक्सपोर्ट न किया

जाये। बाकी स्टेटों में एक्सपोर्ट करने पर कोई बैन नहीं होना चाहिए। जिन स्टेटों में काऊ स्लाटर बंद हो गई है उन स्टेटों पर हमें यकीन करके गायों को एक्सपोर्ट करना चाहिए। इन भाब्दों के साथ में सरकार से अर्ज करूंगा कि इस बिल को री–ड्राफ्ट करके बेहतरीन ढ़ंग से पे ा किया जाये।

श्री हीरा नन्द आर्य (लोहारू): उपाध्यक्ष महोदय, अमैडिंग बिल जो हाउस मैं पे ा किया गया है, उस के बारे में अर्ज करना चाहता हूं। हिंदुस्तान में कभी धर्म के नाम पर, कभी गउ माता के नाम पर गरीब लोगों का भाोशण किया जाता रहा है। आज के दिन यह किसी को भी बर्दास्त नहीं है कि गऊ हत्या हो लेकिन आज दे ा की आर्थिक हालत बदल चुकी है। आप देखेंगे कि प ाुओं के चरने के लिए जिस प्रकार पहले जंगलात होते थें उस प्रकार अब नहीं है। अगर हम गांवों को एक्सपोर्ट करना बंद कर देते है तो उन के लिए चारे की समस्या हो जाएगी। जहां तक गऊ हत्या बंद करने की बात करते है, उस के बारे में मैं अर्ज करना चाहता हूं कि गऊ हत्या तो बंद होनी ही चाहिए लेकिन अगर गउएं हमारे यहां से एक्सपोर्ट नहीं होंगी तो यहां पर ही कट–कट कर मर जायेंगी। आज किसानों को आर्थिक सहारा इन गऊओं के कारण ही मिलता है। अगर आर्थिक सहारा खत्म हो गया तो किसानों का आर्थिक ढ़ांचा बिगड़ जायेगा। अगर धार्मिक विचारधारा से देखें तो दूसरी बात है लेकिन आज हरियाणा प्रदे ा में किसानों की बुरी हालत है।

आज जो सदस्य हाउस में गऊ वध रोकने की बात कर रहें है उनके पास गाय की एक बछड़ी भी नहीं है। कुछ लोग गऊ हत्या की बात को ले कर यहां एक्सप्जाएटे ान कर रहे है। उपाध्क्ष महोदय, जो परमिट सिस्टम वाली बात यहां हाउस में कही गई है, उसके बारे में हमार मुख्य मंत्री साहब भली–भांति जानते है क्योंकि वे पहले फूड एंड सप्लाई मिनिस्टर रह चुक है, और उन का हल्का और मेरा हल्का आस–पास ही है। उनको यह पता है कि राजस्थान में हरियाणा से चावल और गेहूं की ब्लैक होती है। इसलिए इसी प्रकार गउओं की स्मगलिंग का सिस्टम चालू न किया जाये। जो स्पै ाल परमिट की बात कही गई है, उसके बारे मैं मैं कहना चाहता हूं कि जिन स्टेट्स में गऊ–हत्या होती है वहां पर स्पै ाल परमिट न दिए जायें। इन भाब्दों के साथ मैं सरकार से अर्ज करूंगा कि इस बिल में यह अमैंडमैंट करके पास किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : अब काफी सदस्य इस पर बोल चुके है। अब समय समाप्त हो चुका है इसलिए मिनिस्टर साहब को बोलने दें।

जेल तथा दुग्ध विकास मंत्री (चौधरी ि ाव राम वर्मा): उपाध्यक्ष महोदय, गऊ वध को रोकने के लिए इस बिल के अन्दर कुछ सं ाोधन आए है। उस पर मेर माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखें है। यह मैं मानता हूं कि मेरे साथियों की भावना पवित्र है। वे चाहते है कि गऊओं की सेवा हो उन का सरंक्षण

हो। (विघ्न) में बड़ी साधारण और सीधी–सादी बात हाउस के सदस्यों से करूंगा। जब विनोबा भावे जी ने गऊ वध बंद करने के लिए व्रत रखा था उस समय केंद्रीय सरकार ने हरियाणा सरकार के पास कोई चिट्ठी यर तार भेजा था। पिछले साल अप्रैल के महीने से अब तक, वह चिट्ठी बीच में ही रही, पता नहीं क्यों इस के बारे मैं सदन में बिल नहीं आया। नवम्बर के महीने में इस विशय में अध्यादे ा जारी किया गया कि हरियाणा प्रान्त इस हक में है कि गऊ–हत्या भीघ्र से भीघ्र बंद हो। इसी कारण इस अध्यादे ा द्वारा अऊ को हरियाणा से बाहर ले जाने पर पाबंदी लगा दी गई। इन कारणों से यह बिल हाउस में लाया गया है। इसमें एक दो सं ाोधन माननीय सदस्यों की ओर से आए है। उनके बारे में तो मैं चर्चा बाद में करूंगा। जिन सदस्यों ने कुछ और बातें कहीं है पहले उन के बारे में अर्ज करना चाहूंगा। चौधरी राम लाल वधवा और श्रीमती कमला वर्मा ने जो सं ाोधन दिया है कि यह बिल वापिस लिया जाये, इस सं ाोधन से जाहिर होता है कि उन्होंने अपनी भावनाओं को ही समाप्त कर दिया है। अगर यह बिल वापिस हो जाता है तो बैन भी समाप्त हो जाता है। इसलिए उन्हें वापिस लेने की तो बात हाउस में कहनी ही नहीं चाहिए थी। जो इस बिल के अन्दर कमियां थीं वे बतानी चाहिएं थी और उन कमियों को हम दूर करने की कोि ा ा करते। लेकिन उन्होंने जो यह कहा कि इस बिल को वापस लिया जाये, यह गलत कहा है।

दूसरी बात उन्होंने यह कही है कि एक्सपोर्ट पर पूरी पाबंदी होनी चाहिए और इसके साथ ही उन्होंने मेरा नाम भी जोड़ दिया है। मैं हमे ाा यह कहता रहा हूं कि पूरा प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए। मैं कभी भी इस विचार का नहीं बना हूं कि एकस्पोर्ट पर पूरा प्रतिबंध हो। 1967 में भी जब इनकी ओर से गऊओं को बाहर भेजने पर रोक लगाने की बात कही गई थी तो उस टाईम पर भी मैं सहमत नहीं था। दस समय राव बीरेंद्र सिंह की सरकार थी। उस टाईम पर भी मैंने यही कहा था कि बाहर जाने पर पूरी पाबंदी नहीं होनी चाहिए। अच्छे प ाु बाहर जाने ही चाहिए क्योंकि इससे हमारे हरियाणा के किसानों को लाभ होता है। खेती के साथ–साथ प ाुपालन भी आमदनी का बड़ा अच्छा साधन है। अगर हम पाबंदी लगा देते है तो किसानों की आमदनी को बड़ा भारी धक्का लगेगा।

जहां तक परमिट सिस्टम की बात है इस के बारे में बिल में साफ लिखा हुआ है लेकिन मेरे भाइयों ने उसको पढ़ने की तकलीफ नहीं की। अगर पढ़ लेते तो उनकी समझ में आ जाता और जिन्होंने पढ़ा, वे इस बात को समझते भी है कि इसका क्या मतलब है लकिन फिर भी उन्होंने कुछ बातें कहनी थीं। इसमें साफ लिखा हुआ है कि गऊ वध के लिए कोई परमिट नहीं दिया जायेगा। माननीय सदस्यों को वि वास होना चाहिए कि परमिट देने से पूर्व आफिसर पूरी तसल्ली करेगा कि जो परमिट दिया जा रहा है यह गऊएं वध करने के लिए तो नहीं ले रहा है।

जहां तक चौधरी सुरेंद्र सिंह की बात है उन्होंने तो पूरी तरह से इस बात पर विचार नहीं किया होगा और संत कंवर सिंह जी ने भी एक दो बात कहीं है वे भी खास बातें नहीं है। चौधरी कंवल सिंह जी ने सैक ान 4क में सं ाोधन के बारे में कहा है कि इस सैक ान में यह बात और जोड़ी जाए कि जिन स्टेट्स में गऊ वध बंद नहीं हैं वहां के लिए परमिट जारी न किया जाये। मैं समझता हूं कि यह बहुत अच्छा सं ाोधन है। मुझे इस सं ाोधन को मानने में कोई झिझक नहीं हैं। लेकिन इस के बारे में एक बात अर्ज करूंगा कि जब इस कानून में केंद्र में सं ाोधन के लिए बात आई तो हमने विचार किया और मालूम हुआ कि सारे दे ा के अन्दर ट्रेड फ्री है इसलिए एक्सपोर्ट पर कोई पाबंदी नहीं लग सकती। इस के बाद राश्ट्रपति की स्वीकृति लेनी भी बहुत जरूरी थी। हमने अध्यादे ा, राश्ट्रपति की मन्जूरी लेने के बाद जारी कर दिया और अब यह सदन में बिल के रूप में आया है। अगर इस स्टेज पर सं ाोधन करने के लिए दुबारा राश्ट्रपति को भेजेंगे तो जब तक मन्जूरी आयेगी तब तक इसकी अवधि भी समाप्त हो सकती है और यह कानून भी समाप्त हो जायेगा। मैं चाहूंगा कि इस में जो थोड़ी बहुत कमियां लगती है और जो 4ग में प्रोवीजन जोड़ना चाहते है कि जिन स्टेटस में गऊ वध कानूनी तौर पर बंद नहीं है वहां के लिए परमिट न दिए जायें, इस बात को ध्यान मैं रखते हुए बाद में सं ाोधन कर लिया जायेगा। इस में कोई संदेह नहीं कि ऐसा करने से लाभ हो सकता है लेकिन व्यापारी इस किस्म के होते है कि सं ाोधन करने के बाद भी वे दिल्ली या यू0पी0 में

अपना अड्डा रख कर, वहां से कहीं भी या जिस स्टेटस में गऊ वध बंद नहीं हैं वहां पर गउओं को ले जाएंगे। इस वक्त सं ाोधन करना कोई लंबी–चौड़ी फायदे की बात नहीं लगती। यह बात ठीक है कि यह सं ाोधन होना चाहिए। लेकिन मैं इस सं ाोधन के लिए माननीय सदस्यों से कहना चाहूंगा कि अब इस बिल को पास होने दें। इस में देरी करना अच्छा नहीं है। इस सं ाोधन के लिए हम फिर राश्ट्रपति को भेज देंगे और जब स्वीकृत हो कर आ जायेगा तो अगले सै ान में अमैंडिंग बिल ले आयेंगे, नहीं तो बीच में ही एक अध्यादे ा जारी करके लागू कर देंगे।

एक सं ाोधन चौधरी हर स्वरूप बूरा ने दिया है उस में कोई खास बात नहीं है। वे कहते है कि जो स्पै ाल परमिट दिया जाएगा इस बात की क्या गारंटी है कि वह परमिट गऊ–वध के लिए नहीं दिया जाएगा? मैं उनको बताना चाहता हूं कि हर बात पर भाक नहीं करना चाहिए।

चौधरी हरस्वरूप बूरा : इसमें स्पै ोलिटी क्या है?

चौधरी ि ाव राम वर्मा : इस में स्पै ोलिटी यह हो सकती है कि अगर हम सरकारी फार्म से पचास–साठ गायें दूसरे फार्म पर ब्रीडिंग के लिए भेजना चाहें तो परमिट द्वारा भेज सकते हैं और दूसरे इलाके से गऊएं इकट्ठी करके सरकारी तौर पर दूसरे प्रान्त में भेज सकते है जैसा कि आज कल हरियाणा के

अन्दर इस प्रकार की एक स्कीम चल रही है। हम चाहते है कि यहां पर प ुधन अच्छी नस्ल का बने जिससे प ुधन में बढ़ोतरी हो।

चौधरी हरस्वरूप बूरा : आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने कहा है कि 50–60 गऊंए दूसरे फार्म पर ब्रीडिंग के लिए भेज सकते है। सैक ान 4बी में परमिट फार एक्सपोर्ट का जिक्र है और सैक ान 4सी में स्पै ाल परमिट का जिक्र किया गया है तो इन दोनों सैक ान्ज में क्या अन्तर है? सैक ान 4बी के तहत भी गउएं भेज सकते है और 4सी के तहत भी भेज सकते है। क्या मंत्री महोदय सैक ान 4बी और सैक ान 4सी में अन्तर बताने का कश्ट करेंगे?

चौधरी ि ाव राम वर्मा : सैक ान 4बी इसलिए है कि कोई आदमी गऊ एकसपोर्ट करना चाहे तो परमिट मांग सकता है और सैक ान 4सी इसलिए है कि सरकार अगर चाहे तो स्पै ाल परमिट जारी करके कहीं भेज सकती है। एक प्राईवेट पर्सन के लिए है और दूसरा सरकार के लिए है। यह कानून आहिस्ता–आहिस्ता क्रियान्वित होगा और इसमें जो कमियां है, वे भी आहिस्ता–आहिस्ता दूर होती रहेंगी।

एक बात डा0 कमला वर्मा ने कही है कि इस बिल में कहीं पर भी यह नहीं लिखा है कि दूध देने वाली या नौजवान गउएं बाहर नहीं जायेग, केवल बूढ़ी और बेकार जायेंगी और यदि

ऐसा परमिट हम देंगे तो वे भी बुचरखाने में ही जायेगी। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि हम अच्छी नस्ल की गउओं के लिए ही परमिट देंगे यानि जो दूध देने वाली है।

श्री सुरेंद्र सिंह : माननीय मंत्री जी इस बिल पर हुई डिबेट का जवाब काफी लम्बा चौड़ा दे रहे है लेकिन उस बिल के एमज एंड औब्जैक्टस में बहुत छोटा सा लिखा हुआ है। सैक ानज 4ए, 4बी तथा 4सी को अगर पढ़ें तो हमारे सामने क्लीयर पिक्चर नहीं आती स्पै ाल परमिट जो दिया जायेगा वह किन हालत में दिया जायेगा, इस का बिल में कोई जिक्र नहीं है। इन में क्लीयर नहीं दिया गया कि किन हालत में यह परमिट दिया जायेगा। इस एक्ट के मुताबिक तो ऐसा लगता है कि जो बात अफसर कह देगा वही बात फाइनल होगी।

चौधरी ि ाव राम वर्मा : श्री सुरेंद्र सिंह ने बिल को वापस लेने की बात कही है और यह भी कहा है कि 4ग धारा समाप्त होनी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, सदस्यगण की थोड़ी बहुत जो भांकाएं थी मैनें उनका स्पश्टीकरण कर दिया हैं। इसलिए अब मैं निवेदन करूंगा कि इस बिल को पास कर दिया जाये।

Mr. Speaker: Question is-

That this House disapproves the Punjab Prohibition of Cow Slaughter(Haryana Amendment)Ordinace, 1979 (Haryana Ordinance NO. 12 of 1979).

The motion was lost.

Mr. Deputy Speaker: Question is-

That the Punjab Prohibition of Cow Slaughter (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker: Now the House will take up the bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Deputy Speaker: Question is-

That clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Deputy Speaker: There are amendments to this clause by Chaudhri Hari Sawrup Bura and Shri Kanwal Singh. They may please move their amendments.

Chaudhri Hari Sawrup Bura (Meham): Sir, I beg to move-

In clause 3, the following propsed Section 4C be deleted:-

"4C. Special permits.-The Government shall have the power to issue special permits for export of cows in cases where it is of the opinion that it will be in the public interest to do so."

Mr. Deputy Speaker: Motion moved-

In clause3, the following proposed Section 4C be deleted:-

"4C. Special permits.-The Government shall have the power to issue special permits for export of cows in cases where it is of the opinion that it will be in the public interest to do so."

Shri Kanwal Singh (Ghirai): Sir, I beg to move-

After the proposed sub-section(1) of Section 4B of Clause 3, the following proviso be added:-

"Provided that no permit for export of cows to a State shall be issued where cow slaughter is not banned by law."

Mr. Deputy Speaker: Motion moved-

After the proposed sub-section(1) of Section 4B of Clause 3, the following proviso be added:-

"Provided that no permit for export of cows to a State shall be issued where cow slaughter is not banned by law."

Mr. Deputy Speaker: Now I will put the amendment by Chaudhri Har Swarup Bura to the vote of the House.

A Voice: He is withdrawing it.

Mr. Deputy Speaker: Does the Hon. Member want to withdraw it?

Chaudhri Har Swarup Bura: No Sir, इस में बड़ा डाउट है इसलिए इस अमैंडमैंट को वापिस लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता।

Mr. Deputy Speaker: Then I put it to the vote of the House.

Question is-

In clause 3, the following proposed Section 4C be deleted:-

"4C. Special permits.-The Government shall have the power to issue special permits for export of cows in cases where it is of the opinion that it will be in the public interest to do so."

The motion was lost.

Mr. Deputy Speaker: Now, I will put the amendment by Shri Kanwal Singh to the vote of the House.

A Voice: He wants to withdraw it.

Mr. Deputy Speaker: Does the Hon. Member want to withdraw it?

श्री कंवल सिंह (धिराये): उपाध्यक्ष महोदय, अभी चौधरी ि ाव राम वर्मा ने मेरी अमैंडमैंट पर आ वासन दिया है कि राश्ट्ररपति से स्वीकृति लेनी होगी। उन्होंने जो वायदा किया

है उसको मद्देनजर रखते हुए एक बात मैं जरूर कहूंगा कि जो व्यक्ति इनडायरैक्टली एक्सपोर्ट करेगा उस पर कोई पैनल्टी जरूर रखनी चाहिए ताकि वह गलत काम न करे अगर कोई आदमी यू0पी0 या दूसरी स्टेट में, जिस में गऊ–वध पर पाबंदी नहीं लगी है, वहां गउएं ले जायेगा तो उसके लिए कोई सजा रखी जाये या पैनल्टी लगायी जाये। उपाध्यक्ष महोदय, मिनिस्टर साहब ने जो आ वासन दिया है उस को ध्यान में रखते हुए, मैं अपनी अमैंडमैंट को वापस लेता हूं।

Mr. Deputy Speaker: Has the Hon. Member the leave of the House to withdraw his amendment?

Voices: Yes.

The amendment was, by leave of the House, withdrawn.

Mr. Deputy Speaker: Question is-

That clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 4 to 7&1

Mr. Deputy Speaker: Question is-

That clauses 4 to 7 and 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Deputy Speaker: Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formual of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Deputy Speaker: Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Jails and Dairy Development Minister(Chaudhri Shiv Ram Verma): Sir, I beg to move-

That the Bill be passed.

Mr. Deputy Speaker: Motion moved-

That the Bill be passed.

चौधरी बिरेंद्र सिंह(उचाना कलां): सैक ान 8 मैं जो पैनल्टी की क्लाज है, इसमें सैक ान 4ए तथा 4बी भी जोड़ा है यह सैक ान 4सी को वायलेट करती है और इसके बारे में एक्ट साइलैंट हैं। इसलिये मैं मंत्री महोदय से यह कहूंगा कि मैंने जो पहले 9बी के तहत सुजै ान दी है, उस पर विचार कर लिया जाये।

Mr. Deputy Speaker: Question is-

That the Bill be passed.

The motion was carried

दि पंजाब कोर्टस (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल 1980

परिवहन मंत्री (श्री जगन नाथ): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि.

दि पंजाब कोर्टस(हरियाणा अमैंडमैट) बिल पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री उपाध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि–

दि पंजाब कोर्टस (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल पर तुरन्त विचार किया जाए।

चौधरी राम लाल वधवा (करनाल): उपाध्यक्ष महोदय, यह बिलों की ड्राफ्टिंग जो आ रही है, इसे देखकर मुझे एक ही बात याद आती है:–

''छुपाकर आस्तीन में बिजलियां रख दी गर्दों में

अनादल बाग के गाफिल ने बैठें आि ायानों में।''

उपाध्यक्ष महोदय, आप स्टेटमैंट आफ आब्जैक्टस एंड रीजन्ज को जरा पढ़े। उसमें यह लिखा हुआ है:–

"The Supreme Court had decided on 21st September, 1966 in case "Civil Appeal Nos. 1367 and 1368 of 1966-State

of Assam versus Rana Mohammad" that after any person has been appointed or promoted as District Judge by the Government under article 233 of the Constitution of India, power to transfer him under article 235 ibid lies in the High Court without making any consultation with the State Government. It is proposed to bring the provisions of sections 20 and 21(1) of the Punjab Courts Act, 1919, in conformity with the law laid down by the Supreme Court."

Now I read Annexure which is added to this Bill. There are old sections 20 and 21 which read as under:-

"20. The State Government shall appoint as many persons as it thinks necessary to be District Judges, and shall post one such person to each district as District Judge of that District.

21. (1) The State Government, in consultation with the High Court, may also appoint Additonal District Judges to exercise jurisdiction in one or more courts of the District Judges." (Interruptions.)

Mr. Deputy Speaker: No direct talks please.

Chaudhri Ram Lal Wadhwa: Now I will read proposed section 20 which says-

"20. District Judges. The State Government shall, after consultation with the High Court, appoint as many persons as it thinks necessary to be District Judges, and the High Court shall post one such person to each district as District Judge of that district."

उपाध्यक्ष महोदय, आर्टीकल 233 का तो कोई झगड़ा ही नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के जिस डिसीजन के बारे में कह रहे हैं, उसमें मैं यह समझता हूं कि जो कुछ स्टेटमैंट आफ आब्जैक्ट्स एंड रीजन्ज में दिया हुआ है, उस हिसाब से स्टेट गवर्नमैंट की पावर्ज के बारे में तो कोई झगड़ा ही नहीं हैं। अगर यह कहें तो मैं कांस्टीट्यू ान आफ इंडिया का आर्टीकल 235 भी पढ़ कर सुना देता हूं। मगर आर्टीकल 233 के बारे में तो कोई झगड़ा ही नहीं है। इस अमैंडमैंट के मुताबिक, अमैंडिड सैक ान 20 के मुताबिक इन्होंने यह कर दिया है कि आफटर कन्सलटे ान विद दी हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट जजिज की नियुक्ति करेगी। इसको तो यहां पर डालने की कोई जरूरत ही नहीं थी। इसके स्टेटमैंट आफ आब्जैक्टस एंड रीजन्ज में कुछ और है, सैक ान कुछ है और कांसटीट्यू ान का आर्टीकल कुछ और कहता है। इसलिए मेरा कहना यह है कि बिल की ड्राफ्टिंग को ठीक करवा कर सदन मैं लाया करें। मैं तो यह भी कहूंगा कि जरा देखभाल कर बिल लाया करें ताकि इसमें कोई लाकूना न रह जाए। इस बिल में यह लाकूना है, इसी लिए आब्जैक ान कर रहा हूं वैसे मैं आब्जैक ान नहीं करता। मैं तो यहां तक कहने के लिए तैयार हूं कि डिस्ट्रिक्ट जजिज की अप्वांयमैंट के बारे में आफटर कन्सलटे ान विद दी हाई कोर्ट के भाब्द डाले गए हैं, यह गलत है। मैं तो आपसे यह अर्ज करूंगा कि जुडि ियल जजिज के बारे में पार्वज अगर हाई कोर्ट को वैस्ट करने का कोई बिल लेकर आएं तो मैं उसको वैल्कम करूंगा।

चौधरी रिजक राम (सोनीपत): इस बिल के बारे में मैं इतना अर्ज करना चाहता हूं कि जहां तक जजिज की अप्वांयमैंट का सवाल है, वह तो ठीक है और जो कुछ एक्ट में अमैंडमैंट की जा रही हैं, वह ठीक ही की जा रही है लेकिन मैं एक बात की ओर अपने मुख्य मंत्री जी का और मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। डिस्ट्रिक्टस मं जजिज का स्टेटस एग्जैक्टिव वालों से दूसरे नम्बर पर गिना जाता है। सरकार की तरफ से उनके साथ जो व्यवहार हो रहा है, वह दूसरे दर्जे का किया जाता हैं, इसको भी दूर किया जाना चाहिए। तहसीलदार एस0डी0एम0 और डी0सी0 तक सब अफसरों के लिए कोठियां और दूसरी सारी सहूलियतें उपलब्ध हैं। लेकिन जहां तक एडी ानल डिस्ट्रिक्ट जजिज का ताल्लुक है, उनके लिए कुछ भी नहीं है। हमारे जिले को बने हुए 5–6 साल हो गए है, लेकिन आज तक भी वहां पर जजिज की रिहाय ा के लिए कोई इन्तजाम नहीं किया है। इसी वजह से वहां पर सै ान जज भी जल्दी नहीं बैठता। इसलिए मैं गुजारि ा करना चाहता हूं कि जहां सरकार उनकी अप्वांयमैंट और ट्रांसफर्ज के बारे मैं पूरी पावरफूल है, वहां यह लाजमी है कि चाहे कोई डिस्ट्रिक्ट जज हो, चाहे कोई जुडि ियल मैजिस्ट्रेट हो, उनके लिए भी रिहाय ा का इन्तजाम किया जाए ताकि उनको कोई परे ाानी न हो। आज हालत वहां पर यह है कि दो बैड–रूम वाला मकान भी 5–6 सौ रूपये से कम किराए पर नहीं मिलता। इस वजह से कई बार उनकी पौजी ान बड़ी एम्बैरेसिंग हो जाती है। इसलिए मैं अपनी सरकार से रिक्वैस्ट करूंगा कि

सरकार इस तरफ पूरा ध्यान दे और हरेक डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट जज या जुडीि ायल मैजिस्ट्रेट वगैरा के लिए मकान का भी इन्तजाम होना चाहिए।

श्री मूल चन्द जैन (सम्भालखा) : डिप्टी स्पीकर साहब, जो बिल लाया गया है इसके बारे में ऐसा मालूम होता है कि हमारे चौधरी राम लाल जी को कुछ गलतफहमी है। इस एक्ट की ओरिजनल धारा 20 और 21 दी हुई हैं। अगर उसको पढ़े तो पता लगता है कि डिस्ट्रिक्ट जजिज की अप्वांयमैंट और ट्रांसफर की पावर स्टेट गवर्नमैंट में ही वैस्ट होती है। इसमें यह लिखा है:—

"20. The State Government shall appoint as many persons as it thinks necessary to be District Judges, and shall post one such person to each district as District Judge of that District."

पहले डिस्ट्रिक्ट जज को अप्वांएट करने तथा ट्रांसफर करने की पावर पंजाब कोर्टस एक्ट के तहत गवर्नमैंट को थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मेरे दोस्त थोड़ा गलत पढ़ गए है। कांस्टीचयू ान के दो आर्टीकल है एक आर्टीकल 233 और दूसरा आर्टीकल 235। आर्टीकल 233 के तहत गवर्नर की डिस्ट्रिक्ट जज अप्वायंट करने तथा प्रोमोट करने की पावर है। मेरे दोस्त का यह ख्याल है कि ये पावर्ज कांस्टीटयू ान में है। सैक ान 20 को बदल कर जो नया सैक ान 20 लाया गया है, इसमें लिखा है—

"20. District Judges-The State Government shall, after consultation with the High Court appoint as many persons as it thinks necessary to be District Judges, and....."

यह इम्प्रूवमैंट है। डिप्टी स्पीकर साहब, पहले बिल से यह पौजीटिवली इम्प्रूवमैंट है। सुप्रीम कोर्ट के जिस फैसले का इन्होंने हवाला दिया है कि ट्रांस्फर की पावर्ज हाई कोर्ट को होनी चाहिए, उसमें आगे लिखा है–

"20.....the High Court shall post one such person to each district as District Judge of that district....."

गवर्नमैंट ने अपने हाथ से कम्पलीट पावर्ज छोड़कर हाई कोर्ट को दी है। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है।

Mr. Deputy Speaker: Question is-

That the Punjab Courts (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker: Now the House will take up the Bill clause by clause.

Clauses 2, 3&1

Mr. Deputy Speaker: Question is-

That clause 2, 3 &1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Deputy Speaker: Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Deputy Speaker: Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Transport Minister(Shri Jagan Nath): Sir, I beg to move-

That the Bill be passed.

Mr. Deputy Speaker: Motion moved-

That the Bill be passed.

Mr. Deputy Speaker: Question is-

That the Bill be passed.

The motion was carried.

दि हरियाणा वैलीडे ान आफ ऑक्ट्राय एंड सरचार्ज बिल, 1980

Local Government Minister (Chaudhri Khurshid Ahmed): Sir, I beg to move-

That the Haryana Validation of Octroi and Surcharge Bill be taken into consideration at once.

Mr. Deputy Speaker: Motion moved-

That the Haryana Validation of Octroi and Surcharge Bill be taken into consideration at once.

Mr. Deputy Speaker: Question is-

That the Haryana Validation of Octroi and Surcharge Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker: Now the House will take up the Bill clause by clause.

Clause 2, 3&1

Mr. Deputy Speaker: Question is-

That clause 2, 3&1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Deputy Speaker: Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Deputy Speaker: Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Local Government Minister(Chaudhri Khurshid Ahmed): Sir, I beg to move-

That the Bill be passed.

Mr. Deputy Speaker: Motion moved-

That the Bill be passed.

Mr. Deputy Speaker: Question is-

That the Bill be passed.

The motion was carried.

दि पंजाब लैंड रैवैन्यू (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1980

Revenue Minister(Chaudhri Sher Singh): Sir, I beg to move-

That the Punjab Land Revenue (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Deputy Speaker: Motion moved-

That the Punjab Land Revenue (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker: Now the House will take up the Bill clause by clause.

Clauses 2 & 1

Mr. Deputy Speaker: Question is-

That clause 2 & 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Deputy Speaker: Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Deputy Speaker: Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Revenue Minister(Chaudhri Sher Singh): Sir, I beg to move-

That the Bill be passed.

Mr. Deputy Speaker: Motion moved-

That the Bill be passed.

Mr. Deputy Speaker: Question is-

That the Bill be passed.

The motion was carried.

नियम 84 के अधीन प्रस्तावों पर चर्चा

(i) वर्श 1978–79(1–4–1978 से 31–3–1979) के लिए हरियाणा लोक सेवा आयोग की वार्शिक रिपोर्ट

Chaudhri Ram Lal Wadhaw(Karnal): Sir, I beg to move-

That the Annual Report of the Haryan Public Service Commission for the year 1978-79 (1-4-1978 to 31-3-1979), which was laid on the Table of the House on 3rd March, 1980, be discussed.

Mr. Deputy Speaker: Motion moved-

That the Annual Report of the Haryan Public Service Commission for the year 1978-79 (1-4-1978 to 31-3-1979), which was laid on the Table of the House on 3rd March, 1980, be discussed.

चौधरी राम लाल वधवा: उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमि ान की रिपोर्ट सदन में पे ा की गई है। इस पर बहस के लिए मैंने नोटिस दिया था। उपाध्यक्ष महोदय, रिवायात यह है कि हरियाणा पब्लिक कमि ान की कम्पोजी ान पर डिस्क ान और क्रिटिसीज्म नहीं हो सकता। मैं उसको क्रिटिसाइज करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं। उपाध्यक्ष महोदय, चार रिपोर्टस सदन के सामने है और टाईम बहुत थोड़ा है लेकिन जो भी टाईम मुकरर्र किया गया है उसी में बोलना है। डिप्टी स्पीकर साहब, और भी बहुत से सदस्यों ने बोलना है इसलिए मैं सदन का बहुत टाईम नहीं लूंगा। मैं दो–तीन बातें हरियाणा पब्लिक सर्विस कमि ान के बारे में कहना चाहता हूं। एक तो यह कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमि ान की जो कांस्टीट्यू ान है, इसके बनाने का जो तरीका है और इसके अन्दर जो चेयरमैन और मैम्बर्ज की अप्वाएंटमैंट का तरीका है, उसके बारे में कोई रूल्ज नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, यह एक फंडामैंटल क्वै चन है। अगर हम पुरानी हिस्टरी को देखें तो अन्डर मैट्रिक भी चेयरमैन इस पब्लिक सर्विस कमि ान के रहे है। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमि ान एक ऐसा अदायरा है जिसका काम सर्विसिज के अन्दर लोगों को चुनकर भेजना है और इस कमि ान के बनाने का मकसद यह था कि उसके अन्दर पोलिटीकल अप्वाएंटमैंट ने हो, सिलैक ान के अन्दर किसी किस्म की सियासी नियुक्ति न हो उपाध्यक्ष महोदय, अगर हमें इस बात का प्रबनध करना है कि जो लोग पब्लिक सर्विस कमि ान द्वारा

वहां से चुनकर आएं, सिलेक्ट होकर आएं, वे इंटैगरिटी के लोग होने चाहिएं तो इसके लिए हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि पब्लिक सर्विस कमि ान के अन्दर जो चेयरमैन या मैम्बर्ज अप्वाएंट किए जाने है, उनकी क्वालिफिके ान क्या हो। इसके लिए हमें रूल्ज बनाने चाहिएं और उन रूल्ज के अन्दर जो काइटेरिया मुकरर्र किया जाए, उसके अनुसार पब्लिक सर्विस कमि ान का चेयरमैन और मैम्बर्ज लगाए जाने चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, आज सारी पावर मुख्य मंत्री के हाथ में है। जो भी खाली असामी होती है उन पर मुख्य मंत्री महोदय अपनी मर्जी के मुताबिक पोलोटिकल भर्ती कर लेते है। पब्लिक सर्विस कमि ान एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्टों के लिये सिलेक ान करता है, इसलिये वहां के जो चेयरमैन और मैम्बर साहेबान हैं, उनके लिये कोई क्वालिफिके ान और रूलज अव य रखने चाहिये और उन रूल्ज के अनुसार उनको लगाना चाहिये। इसके अलावा एक और वि ोश बात है जो रिपोर्ट को पढ़ते हुए देखी गई है। उपाध्यक्ष महोदय, अगर मैं सफे और फिगर्ज पढ़ने लगूं तो बड़ा समय लग जाएगा। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत सी ऐसी पोस्टें होती है जो वक्तनफवक्तन पोलिटीकल आदमी भर्ती करने के उद्दे य से पब्लिक सर्विस कमि ान के परव्यू से निकाल ली जाती है और पब्लिक सर्विस कमि ान के पास एतराज करने की कोई पावर नहीं है। अगर वह किसी केस को वापिस कर देता है तो फाइनल पावर सरकार के पास है। इस तरह से

सरकार असामियों को उनके परव्यू से निकाल लेती है और अपनी मर्जी से भर्ती कर लेती है। जो पावर हम पब्लिक सर्विस कमि ान का भर्ती करने के लिये दे चुके है उसमें कोई असामी पोलिटीकल तौर पर सरकार को नहीं भरनी चाहिये।

एक और बात काम मैं देरी के बारे में वि ोश तौर पर कहना चाहता हूं। पब्लिक सर्विस कमि ान ने रिपोर्ट के पैरा 2 और 3 में लिखी है कि एडमिनिस्ट्रे ान में भर्ती करने के लिए जब सरकार आसामियों को पब्लिक सर्विस कमि ान के पास भेजती है तो उस काम में देरी क्यो होती है? उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि जो आसामियों की भर्ती का केस, सरकार की तरफ से पब्लिक सर्विस कमि ान या एस0एस0एस0 बोर्ड को भेजा जाता है, वह ठीक ढ़ंग से तैयार करके नहीं भेजा जाता जिसका परिणाम यह होता है कि वह केस ठीक करवाने के लिये बार बार सरकार को रैफर किया जाता है। इन्हीं कारणों से पब्लिक सर्विस कमि ान और एस0एस0एस0 बोर्ड की तरफ से सिलेक ान में देरी हो जाती है। इसलिये सरकार को आगे से इन बातों का खास ध्यान रखना चाहिये। सरकार डिपार्टमैंटस को आदे ा दे कि जब भी वे आसामियों की भर्ती के केस पब्लिक सर्विस कमि ान या एस0एस0एस0 बोर्ड को भेजें तो मुकम्म्ल तौर पर तैयार करके भेजें ताकि सिलेक ान में किसी प्रकार की कोई देरी न हों।

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें सब से बड़ बात यह है कि पब्लिक सर्विस कमि ान ने इस बात को कि्टिसाइज किया है कि

जो डिपार्टमैंटल रूल्ज हैं, चाहे वे भर्ती के हों, चाहे परमो ान के हों, वे दस–दस पन्द्रह–पन्द्रह सालों तक बनाएं नहीं जाते। पब्लिक सर्विस कमि ान ने सरकार से यह कहा है कि इस के लिए एक डैड लाईन मुकरर्र होनी चाहिये कि रूल्ज फलां तारीख तक बन जाएंगे ताकि सिलेक ान में किसी प्रकार की देरी न हो। इस संबंध में रिपोर्ट के पृश्ठ 16 की आइटम 31 में वर्णन किया गया है कि 10–10 15–15 सालों तक रूल्ज वगैरह को फाइनेलाइज नहीं किया जाता और ड्राफ्ट यू के यू अलमारियों में ही पड़े रहते है। रूल्ज न होने के कारण परमो ान और सिलेक ान में बड़ी परे ाानी होती है। इसलिए मैं सरकार से कहूंगा कि यह बड़ा सीरियस मामला है, इसके लिये कोई डैड लाईन मुकरर्र करें। सरकार को चाहिये कि तीन या छः महीनों के अन्दर इस बात को फाइनल कर ले।

इससे अगला प्वांयट, उपाध्यक्ष महोदय बड़ा सीरियस है। सरकर अगर 6 महीने के लिए एडहाक या टेम्पोरेरी अप्वांयटमैंट कर देती है उसके 6 मही पूरे होने के बाद एक दिन का ब्रेक डाल कर उसे जारी रखा जाता हैं। इसी वजह से आप रोजाना देखते है कि बर्क चार्जड और टीचर वगैरह बेचारे सालों तक बिला रेगुलर हुए एडहाक बेसिज पर सर्विस करते रहते है। इनको रैगुलर करने के लिए एस0एस0एस0 बोर्ड या पब्लिक सर्विस कमि ान को लिख देना चाहिये और छः महीने के अन्दर अन्दर इन लोगों को रेगुलर कर देना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने

कुछ महत्वपूर्ण बातें यहां पर कहीं है। इनके बारे में मैं सरकार से यह आ ाा करता हूं कि सरकार अव य मेरी बातों पर गौर करेगी। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं।

डा0 मंगल सैन (रोहतक) : डिप्टी स्पीकर साहब, इस सदन में 1 अप्रैल, 1978 से 31 मार्च, 1979 तक पब्लिक सर्विस कमि ान ने जो काम किया है, उसकी रिपार्ट 3 तारीख को रखी गई थी, उस पर चर्चा चल रही है। हम जानते है कि जमहूरियत में डैमोक्रेसी सैट अप में जहां लेजिसलेचर, एग्जैक्टिव और जुडि ियरी का रोल होता है वहां सर्विसिज का भी अपना रोल होता है, ब्यूरोक्रेसी का भी रोल होता है। सरकार को चलाने का और पालिसी को, प्रोग्रामज को इम्पलीमैंट करने का जो बोझ है, वह सारा सर्विसिज पर आता है। सर्विसिज की सिलेक्ा न का संविधान के अनुसार यह प्रावधान है कि पब्लिक सर्विस कमि ान के द्वारा सिलैक्ा न की जाएगी। डिप्टी स्पीकर साहब, आप जानते है कि अगर किसी हाई कोर्ट के जज को हटाना हो तो उसे इम्पीचमैंट के बिना हटा नहीं सकते। उसी प्रकार अगर पब्लिक सर्विस कमि ान के चेयरमैन को हटाना हो, उसके खिलाफ किसी प्रकार की गड़बड़ हो, सरकार उसे न चाहती हो, उसे भी इम्पीचमैंट के बिना हटाया नहीं जा सकता। एक कमि ान ने अपनी रिपोर्ट मैं जो अपना मत दिया है, वह पढ़ने योग्य है। सरकार को अगर फुर्सत हो तो वह उसे पढ़े और उस पर सरकार को अमल करना चाहिये।

डिप्टी स्पीकर सहाब, जिस प्रकार पब्लिक सर्विस कमि ान को किसी कैटेगरी में सिलेक ान का अधिकार है उसी प्रकार उसको कंसलटे ान का भी अधिकार है। सरकार समय समय पर अगर किसी बात के बारे में सलाह लेना चाहती है तो कमी ान को वह केस रेफर किया जाता है। पब्लिक सर्विस कमि ान ने अपनी रिपोर्ट में यह बात कही है। पेज 14 पर पदोन्नति संबंधी मामले के अधीन जो कुछ लिखा है, वह मैं आपको पढ़ कर सुना देता हूं।

''आयोग के पास 1 अप्रैल 1978 को पदोन्नति के 59 मामलें लम्बित थे जैया कि गत वर्श की रिपोर्ट के अध्याय सात में वर्णित किया गया था। रिपोर्टाधीन वर्श के दौरान पदोन्नति से संबंधित 46 मामलें आयोग को प्राप्त हुए। आयोग ने 43 मामलों में 98 अधिकारियों की उपयुक्तता के मूल्यांकन संबंधी अपना परामर्ा दिया। भोश 62 माामलों पर निर्णय मुख्यतः इसी कारण नहीं लिया जा सका, क्योंकि विभागों ने उच्च पद पर पदोन्नति के लिए निम्न पद पर अनुभव की न्यूनतम अवधि के निर्धारण तथा प्रत्यैक पद के लिए तीन उचित अधिकारियों/कर्मचारियों का स्लैब आदि देने के संबंध में सरकारी अनुदे ाों का पालन नहीं किया था तथा सरकार द्वारा निर्धारित परिपत्र में अपेक्षित सूचना नहीं दी थी। प्रायः विभाग राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी की गई हिदायतों तथा सेवा नियमावली के अनुसार पहली ही बार पूर्ण प्रस्ताव नहीं भेजते है। इस लिए विभागों को दोबारा लिखना

पड़ता है। मामलों को पूरा करने में पर्याप्त समय लग जाता है जिससे मामले निपटाने में अनाव यक देरी हो जाती है।''

डिप्टी स्पीकर साहब, इनका लिखने का मतलब यह है कि सरकार इस मामलें में बड़ी कोताही करती है। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपकी सेवा में प्रार्थना कर रहा था कि पेज 16 पर वे लिखते है ''पिछले तीन वर्शों की रिपोर्टों का वर्णन किया गया था कि अभी तक ऐसी बहुत सी मान्य सेवाएं है जिनके लिए या तो कोई नियमावली है ही नहीं या तो है वह बहुत पुरानी है। कर्मचारियों का उचित चुनाव करने के लिये यह अनिवार्य है कि नियुक्ति प्राधिकारियों तथा भावी उम्मीदवारों के मार्ग द र्शन हेतु विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए भर्ती करने के ढ़ंग तथा भार्तो संबंधी स्पश्टयता परिभाशित नियम हों। आयोग ने सुझाव दिया था कि सरकार सभी नियमों को अन्तिम रूप देने तथा राजपत्र में अधिसूचित करने की एक अन्तिम तिथि निर्धारित कर दे। आयोग खेद सहित कहता है कि इस विशय में सरकार द्वारा रिपोर्टाधीन वर्श में भी कोई सन्तोश जनक पग नहीं उठाया गया है।'' (विघ्न) डिप्टी स्पीकर साहब, सब से बड़ा अफसोस यह है कि मिनिस्टर सब से ज्यादा इर–रिसपौंसिबल है। इस हाउस का इतना वैल्यूएबल टाईम है, इनको सिवाए टीचकबाजी के और कोई काम नहीं है (ाोर) डिप्टी स्पीकर साहब, जो कुछ मैं कह रहा था, वह पब्लिक सर्विस कमि ान की रिपोर्ट में ही दिया हुआ है। मैं निवेदन करता हूं कि बहुत सी सेवाओं के लिए रूल बना कर नहीं

दिये गये, इस कारण वे अपनी डियूटी प्रोफार्म नहीं कर सकें। यह सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ा रिफलैक ान है। अगर सरकार में हया हो तो वह लेक में डूब कर मर जाए। (विघ्न) सरदार तारा सिंह जी आप बातों में म ारूफ है, मैं आप के डिपार्टमैंट के बारे में भी बताना चाहता हूं। इस रिपोर्ट के पेज 18 पर लिखा हुआ है कि ''आंकड़ा अनुभाग के हरियाणा कृशि सेवा द्वितीय श्रेणी के पदों की पूर्ति, पदोन्नति का मामला हरियाणा सरकार कृशि विभाग की ओर से दिंनाक 13–12–71 को प्राप्त हुआ था। आयोग के पत्र दिनांक 18–1–72 द्वारा सरकार से वांछित सूचना मांगी गई थी। समय समय पर हुई कार्यवाही के प चात् यह मामला आयोग के पत्र दिनांक 21–11–72 द्वारा मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार के ध्यान में लाया गया था तथा विभाग को स्पश्ट कर दिया गया था कि यदि इस माामले में उत्तर 10 दिन के अन्दर अन्दर प्राप्त न हुबा तो फाईल कर दिया जाएगा। इस विशय में सरकार की ओर से उत्तर दिनांक 29–1–75 को प्राप्त हुआ लेकिन पूर्ण मामला फिर भी प्रस्तुत नहीं किया गया..... ..'' यानि यह सरकार टस से मस न हुई। इस माामले को 9 साल लग गये। 22–1–80 के बाद यह सरकार आई (ाोर)

चौधरी राम लाल वधवाः डिप्टी स्पीकर साहब, मैं सरकार में बैठे भाईयों को कहना चाहता हूं कि अभी से क्यों छलक आए तुम्हारी आंखों में आंसू (ाोर)

डा0 मंगल सैनः डिप्टी स्पीकर साहब, एच0ए0एस0 क्लास टू की पोस्टों के लिए डिपार्टमैंट को 1972 में चिट्ठी लिखी गई और बार बार याद भी करवाया गया लेकिन ये कुम्भकरण की नींद से नहीं उठें। इसी प्रकार से एक गोपी चन्द गुप्त नाम के सज्जन हैं, जो एच0ए0एस0 क्लास वन में एडहाक अप्वांयंटमैंट पर लगे हुए थे। उन की एक्सटैं ान के लिए विभाग द्वारा 10—10—75 को केस भेजा गया था और कमि ान ने उस पर 7—11—75 को कुछ कलैरिफिके ान मांगी.....

चौधरी रिजक रामः उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वांयट आफ आर्डर है। यह रिपोर्ट उस जमाने की है जब डा0 साहब कैबिनैट के मैम्बर थे। मैं यह कहना चाहता हूं कि जब उस वक्त यह भी कैबिनैट में थे तो इस तरह की बात क्यों कह रहे है? कैबिनेट की ज्वांयट रिसपांसिबिलिटी होती है। इसलिये ज्वांयट रिसपांसिबिलिटी का ख्याल रखते हुए ऐसी बात कहना ठीक नहीं है।

डा0 मंगल सैनः ठीक है चौधरी साहब, बुजुर्ग होने के नाते मैं आपका सम्मान करता हूं और इस सुझाव के लिए आपका भाुक्रिया भी अदा करता हूं। मैं मानता हूं कि यह एग्रीकल्चर डिपार्टमैंट की गलती थी और उसकी जिम्मेदारी सब पर है। अगर वह गलती थी तभी तो यह बात रिपोर्ट में आई है। मेरे भाई जगन नाथ जी भी बहुत उछलते हैं, इनके डिपार्टमैंट का भी मैं जिक्र करता हूं। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमैंट में 1976 में कुछ स्टोर

परचेज अफसर एडहाक बेसिज पर नियुक्त किये गये थे। उनका मामला कमि ान को एंडोरसमैंट के लिये भेजा गया। कमि ान ने बार–बार रूल्ज के बारे में कहा कि रूल्ज बताओ ताकि हम उसकी एंडोरसमैंट कर सकें लेकिन वे रूल्ज आज तक नहीं भेजे गये। पहले तो दूसरी सरकार थी, अब तो बड़ी डायनामिक सरकार है, आज तो आप बड़े प्रगति ाील हो गए हैं और रातों–रात बदल गये है। (ाोर) डिप्टी स्पीकर साहब, इस रिपोर्ट को हाउस में रखने का मकसद और रूल 84 के अधीन इसको डिस्कस करने का मकसद यही होता है कि सरकार का ध्यान कमियों की और, कमजोरियों की ओर, भूलों की ओर और गुनाहों की ओर दिलाया जा सके और वे कमियां दूर हो सकें।

स्वामी आदित्यवे ा(हथीन): डिप्टी स्पीकर साहब, वर्श 1978–79 की लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट पर डिस्क ान की जा रही है। अभी डा0 मंगल सैन अपने जमाने के कारनामों पर बोल रहे थे। उपाध्यक्ष महोदय, जो कुछ हमने किया वह मैं आपके सामने रख रहा हूं। इस रिपोर्ट में आयोग ने लिखा है कि अनुसूचित जाति के 111 पद थे लेकिन केवल 16 पदों पर नियुक्तियां की जा सकीं क्योंकि लायक उम्मीदवार नहीं मिल सके। मैं इस बारे में सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वह अनुसूचित जातियों के लिये अच्छे ट्रेनिंग सैंटर खोलें जिनमें ि ाड्यूल्ड कास्ट और बैकवर्ड क्लासिज के लड़कों को प्र ि ाक्षण दिया जा सके और ऐसे पदों पर नियुक्त हो सकें। इसी तरह से उपाध्यक्ष

महोदय, आयोग ने पढ़ाई लिखाई के स्तर के संबंध में चिन्ता व्यक्त की है कि पढ़ाई लिखाई का स्तर घटता जा रहा है। जो बच्चे परीक्षा में बैठते हैं, उनको यह नहीं पता कि दयानंद और विवेकानंद एक थे या अलग अलग थे। मैं सदन को बताना चाहूंगा कि यह जो कुछ हुआ है वह डा0 मंगल सैन जी के टाईम में हुआ है क्योंकि उस वक्त ये ि ाक्षा मंत्री थे (ाोर)

डा0 मंगल सैनः उपाध्यक्ष महोदय, मैं उस वक्त ि ाक्षा मंत्री नहीं था, इनको इस चीज का पता होना चाहिए (ाोर) उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पास गोबर गैस के वजीर बैठे है इनका भी कोई बन्दोबस्त किया जाए (ाोर)

Mr. Deputy Speaker: Now the House will take up the next item.

(ii) हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड के 1979–80 के वार्शिक वित विवरण (बजट अनुमान)

Chaudhri Ram Lal Wadhaw (Karnal): Sir, I beg to move-

That the Annual Financial Statement (Budget Estimates) 1979-80 of the Haryana State Electricity Board, which was laid on the Table of the House on 3rd March, 1980, be discussed.

Mr. Deputy Speaker: Motion moved-

That the Annual Financial Statement (Budget Estimates) 1979-80 of the Haryana State Electricity Board, which was laid on the Table of the House on 3rd March, 1980, be discussed.

चौधरी राम लाल वधवाः उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण विशय है गवर्नर एड्रैस और बजट पर चर्चा करते हुए मैम्बर साहेबान ने इसके बारे में काफी कुछ कहा है। आज इस महत्वपूर्ण विशय पर बोलने के लिए समय बहुत कम है क्योंकि चार रिपोर्ट डिस्कस होनी है और इस प्रकार से हरेक रिपोर्ट पर डिस्क्स करने के लिए आधा–आधा घंटा मुि कल से मिलेगा। सभी माननीय सदस्य इस पर थोड़ा–थोड़ा बोलें। मैं इसके बारे में कुछ मोटी–मोटी बातें कह देता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक बिजली की हालत है, मैं समझता हूं कि उस पर कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। बिजली की आज यह हालत हो चुकी है कि–

ए बरक न ोमन को मेरे फूंक दे चाहे,

गुल ान की तबाही मुझे मंजूर नहीं है।।

लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, जो कुछ आज इस सरकार की हालत है इसके बारे में मैं यह कह देना चाहता हूं कि–

अरे क्या रोकेगा तू ए ना खुदा इन्हें गर्क होने से,

कि जिनको डूबना हो डूब जाते सफीनों में।।

तो उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि बिजली बोर्ड की कारकरदगी, बिजली बोर्ड बनने के साथ ही इस तरीके से हुई तो कोई इसको क्या ठीक करेगा। उपाध्यक्ष महोदय, इस बिजली बोर्ड की बुनियाद ही ऐसी डाली गई है। मुझे पुरानी याद आती है कि जब पिछले सै ान में कम्पट्रोलर एंड आडिटर जनरल की रिपोर्ट पर डिस्क ान हुई थी। फिर एमरजैंसी के बाद इस बोर्ड पर कमी ान बने और कमी ान के अन्दर लोगों पर केस चले, केस वापिस भी लिए गए और अब भी वापिस लिए जा रहे है। आज जो भी इन्होंने करना है वह करें, क्योंकि, जब आदमी अपनी जमीर ही बदल देता है तो उसके बाद उसको अपनी मजबूरी में कई काम करने पड़ते है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात आपके द्वारा इस सरकार से कहना चाहता हूं कि कम से कम यह सरकार बिजली बोर्ड की कारकरदगी की ठीक ढ़ंग से चलाने के लिए ध्यान दे। आज हरियाणा बिजली बोर्ड की कारकरदगी की जो हालत है, यदि उसके बजट एस्टीमेटस पर मैं डिस्क ान करने लगूं तो एक–एक आईटम पर बहुत ज्यादा समय लगेगा। उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट एस्टीमेटस में जो बातें कही गई है उसमें बिजली बोर्ड की कारकरदगी के बारे में, उसकी अन्दरूनी हालत के बारे में बजट एस्टीमेटस में कुछ नहीं बताया गया। उपाध्यक्ष महोदय, जब यह रिपोर्ट सदन की टेबल पर रखी गई थी तो उसके साथ ही बिजली बोर्ड की एक और रिपोर्ट 'एनुअल स्टेटमैंट आफ अकांऊटस 1976–77 भी भाामिल थी। आज बिजली बोर्ड की हालत क्या है और यह जो बजट एस्टीमैट

बनाया है इससे हरियाणा की किस्मत को कैसे बदला जा सकेगा? क्या खेतीबाड़ी के लिए बिजली मिल सकेगी? क्या उद्योग धन्धे हरियाणा में चल सकेंगे? असल में बिजली बोर्ड तो हरियाणा का दिवाला निकालने पर तुला हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय यह जो 'एनुअल स्टेटमैंट आफ अकाउन्टस' रिपोर्ट है इसके पेज 5–6 पर लिखा हुआ है कि इस बिजली बोर्ड ने 436.9 करोड़ रूपए का कर्ज लिया हुआ है और 1976–77 में 48 करोड़ 13 लाख रूपये का घाटा है इस घाटे के बारे में लिखा है कि हम आगे जाकर एडजस्ट करेंगे जबकि हर साल बोर्ड में घाटा होता चला जा रहा है। इतना ही नहीं, बोर्ड ने जो कर्जा लिया हुआ है बोर्ड उसका इन्ट्रैस्ट देने की पोजी ान में भी नहीं है। कई बार इन्ट्रैस्ट को भी अगले साल के कर्जे में भाामिल कर लिया जाता है। (**इस समय सभापतियों की सूची में से एक सदस्य, श्री कन्हैया लाल पोसवाल, पदासीन हुए**) डैपरीसिए ान पूरी नहीं निकाली जाती है। इस जमा–कर्ज को पूरा करने के लिए इसमें कारकरदगी कितनी निकलती है और किस प्रैसीडैंट से निकलती है। सभापति जी, इसी रिपोर्ट के पेज 10 पर स्टेटमैंट (सी) में लिख दिया है कि बोर्ड ने 38,51,46,733 रूपए की अदायगी करनी है और यह अदायगी हर साल बढ़ती चली जा रही है। इसके अलावा सभापति जी, पेज 120 पर लिखा है कि 55,99,48,241 रूपये बिजली बोर्ड की लायविलिटी है और पेज 119 पर लिखा है कि 12,27,82,396 रूपये के असैट्स है। इसका मतलब यह हुआ कि बोर्ड की फाईनैंि ायल पोजी ान वीक है। इसके अलावा सभापति महोदय,

एक महत्वपूर्ण बात पढ़ने को मिली, पेज11 पर लिखा है कि 22.3 प्रति ात लाईन लौसिज है; बिजली बोर्ड के इतने लौसिज होने के बाद हरियाणा बिजली बोर्ड का दिवाला नहीं पिटेगा, डिवैल्पमैंट के लिए बिजली की कमी नहीं होगी तो और क्या होगा? इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि इस बजट एस्टमेटस के पेज 22 पर बोर्ड ने लिखा है कि हम 1983–84 तक 1304 मैगावाट बिजली पैदा कर सकेंगे और 200 मैगावाट तक हमारी मांग होगी। इससे यह जाहिर होता है कि बिजली की कमी रहेगी। सभापति महोदय, हरियाणा सरकार ने जितना रूपया बोर्ड को दिया है, अगर उसके आंकड़ें लिख कर मैं आपके सामने रखूं तो आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस रूपसे को आगे आने वाली सरकारें वापिस नहीं ले सकेगी। न तो हरियाणा सरकार को पैसा वापिस मिलेगा और न ही प्रान्त को बिजली मिल सकेगी। सभापति महोदय, यह जो बजट एस्टीमेटस बनाया गया है, इसक बारे में यह कहना चाहता हूं कि बिजली बोर्ड इसको सख्ती से लागू करें बिजली पैदा करने के जितने भी साधन हैं, जो टारगेट फिक्स किया है, उस टारगेट को समय से पहले ही पूरा करने की कोि ा ा करें ताकि किसानों को पानी मिल सके। चाहे थर्मल प्लांट लगाएं, चाहे नल योजनाये बनायें, लेकिन पानी का प्रबंध जरूर करे। इसके अलावा हिमाचल प्रदे ा के साथ नाथपा झाकरी का जो एग्रीमेंट सरकार ने किया है, उस पर फौरी तौर पर अमल होना चाहिए और एमरजैन्सी लैवल पर डैम बनाना चाहिए ताकि हरियाणा का किसान और मजदूर बरबादी से बच सके। सभापति

महोदय, यह ऐसा विशय है जिस पर बहुत कुछ कहा जा सकता है लेकिन चूंकि अभी बहुत से मैम्बरान ने बोलना है इसलिए इतना ही कहकर अपना स्थान लेता हूं और आपने जो मुझे समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

चौधरी रिजक राम(राई): चेयरमैन साहब, हरियाणा स्टेट बिजली बोर्ड की रिपोर्ट, 1979–80 सदन में विचाराधीन है, इस पर मैं अपने विचार रखना चाहता हूं। अभी–अभी चौधरी राम लाल वधवा ने बोर्ड की कारगुजारी और फिनांसिंग की काफी कमियां हाउस के सामने रखी और उन कमियों की ओर हाउस की तवज्जोह दिलाई चेयरमैन साहब, इसमें कोई सन्देह नहीं कि कुछ कठिनाइयों का सामना बोर्ड को करना पड़ रहा है। इसक बावजूद, चौधरी राम लाल जी को एक बात तसलीम करनी पड़ेगी कि इतनी सारी कठिनाइयां होने के बावजूद भी बोर्ड ने 1979–80 में जिस हौंसले से स्टेट की डिवैल्पमैंट के लिए काम किया है, वह बड़ा सराहनीय है। चेयरमैन साहब, इसमें सन्देह नहीं कि हरियाणा में बिजली का उत्पादन कम है और आपको भली–भांति मालूम है कि हरियाणा को कुद बिजली दिल्ली से मिलती है, कुछ थर्मल प्लांटस से मिलती है और कुछ भाखड़ा से मिलती है। भाखड़ा से इस साल बिजली कम मिली और इस का कारण यह है कि इस साल भाखड़ा रिजर्वायर में पानी बहुत कम रहा जिसकी वजह से वहां पर जितना उत्पादन होना चाहिए था उससे आधे से भी कम उत्पादन हुआ है और जितनी हमारी जरूरत थी वह पूरी

होनी सम्भव नहीं थी। थर्मल प्लांटस में भी कमियां आती रही कभी कोयले की किल्लत कभी कोई दूसरी किल्लत इसके बावजूद भी थर्मल प्लांटस का काम चलाते रहे और बिजली की कमी को पूरा करने के लिए सरकार भरसक प्रयत्न करती रही। सारी स्टेट में सूखा बहुत था, लोगों की डिमांड चारों तरफ बहुत ज्यादा बढ़ गई। सूखे के कारण ट्यूबवैल्ज चलाने के लिए जमींदारों की मांग होती रही। चेयरमैन साहब, आप हैरान होंगे कि 1978–79 में बिजली की खपत 87–88 लाख यूनिट से ज्यादा कभी नहीं हुई लेकिन इस साल एक दिन में 1 करोड़ तीस लाख यूनिट्स तक बिजली की खपत हो रही। इस बढ़ती हुई डिमांड को पूरा करने के लिए बोर्ड की तरफ से बिजली पर कटौती लगाई गई। बिजली की इतनी भारी डिमांड होने और दूसरी तरफ बिजली का उत्पादन कम होने के बावजूद भी, ट्यूबवैल्ज को का तकारों को बिजली देने के लिए बोर्ड ने बहुत ही ज्यादा कोि ा ा और मेहनत की जिसका नतीजा यह हुआ कि हरियाणा में पैडी की पैदावार पहले सालों की निस्बत थोड़ी सी ही कम रही, तकरीबन मच्यौरिटी तक पहुंच ही गई। इसका श्रेय बोर्ड को और बोर्ड के अफसरान को जाता है। इसके साथ ही साथ चेयरमैन साहब, मैं यह मानता हूं कि उस वक्त जमींदारों को जितनी बिजली सप्लाई होनी चाहिए थी, उतनी नहीं हो सकी और इस वक्त भी बढ़ेगी उसके मुकाबले में हमारी सप्लाई कम ही रहेगी, जैसा कि इस रिपोर्ट मैं जिक किया गया है। लेकिन बोर्ड की तरफ से पूरी कोि ा ा है कि बढ़ती हुई डिमांड को पूरा करने के लिए पहले से ही कदम उठाये

जायें। चेयरमैन साहब, चौधरी राम लाल जी ने फरमाया कि नाथपा झाकरी के बारे में सरकार को एग्रीमैंट के मुताबिक भीघ्र बातचीत करनी चाहिए। इस प्रोजैक्ट से हरियाणा प्रदे ा को 1000 मैगावाट बिजली का फायदा हो सकता है लेकिन इसमें अभी समय लगेगा। फिर भी हम सरकार को और बोर्ड के अधिकारियों को मुबारकबाद दे सकते है कि वे सूबे की ज्यादा से ज्यादा जरूरियात को ध्यान में रखते हुए अपनी तरफ से बिजली का उत्पादन बढ़ाने के लिए पूरी कोि ा ा कर रहे है।

चेयरमैन साहब,थर्मल प्लांट पानीपत का एक यूनिट चालू हो चुका है दूसरा भी चालू हो जाएगा। इसी तरह के और भी यूनिटस है जिन पर बड़ी सरगर्मी के साथ काम चल रहा है। इन सारे यूनिटस के कम्पलीट होने के बावजूद भी 1980–81 में बिजली की कमी रहेगी जिसके लिए बोर्ड और सरकार को ज्यादा से ज्यादा कोि ा ा करनी पड़ेगी। हिमाचल प्रदे ा से बिजली लेने की कोि ा ा करनी पड़ेगी और मुझे पूरा वि वास है कि इस तरह बोर्ड की और सरकार की पूरी तवज्जोह है। चेयरमैन साहब, इसके साथ ही साथ मैं आपकी इजाजत से एक बात कहना चाहूंगा। जैसा कि मैंने पहले कहा है कि इस साल बड़ा भयंकर सूखा पड़ा, साल भर कोई बारि ा नहीं हुई। जिला महेन्द्रगढ़, भिवानी, गुड़गावां, हिसार और सिरसे बगैरा के इलाकों में बिल्कुल भी बारी ा नहीं हुई, जिसकी वजह से फसलें तो क्या, जोहड़ों में भी प ाुओं को पीने के लिए पानी नहीं रहा बोर्ड के अफसरान ने

इन इलाकों का दौरा किया। दौरे के दोरान मालूम हुआ कि हर एक डिविजन में दो–दो हजार दरख्वास्तें गांव वालों की ट्यूबवैल कुनैक ान लेने के लिए पैंडिंग पड़ी थीं। किसी ने सिक्योरिटी जमा करवा रखी थी, किसी ने टैस्ट रिपोर्ट दे रखी थी। कई–कई साल से लोगों ने बिजली का कुनैक ान लेने के लिए ऐप्लाई कर रखा था लेकिन कुनैक ान नहीं मिल रहा था। इसका कारण यह भी था कि बिजली के कंडक्टर और दूसरा जरूरी सामान उपलब्ध नहीं था। इस सामान को प्राप्त करने के लिए, बोर्ड के अफसरान सारे दे ा में घूमें, जहां से भी सामान मिल सका, उसको लेकर, सूखग्रस्त इलाके में जिन लोगों के ट्यूबवैल कुनैक ान पैंडिंग थे, उन को दिए, इसके लिए बोर्ड के अफसरान मुबारिकबाद के मुस्तहिक है। हरियाणा में पहली दफा ऐसा हुआ है, यह पहली मिसाल है कि किसानों को इतनी जल्दी ट्यूबवैल्ज कुनैक ान मिले, किसी को 8 दिन मैं कुनैक ान मिला, किसी को दस दिन में मिला और किसी को ज्यादा से ज्यादा पंद्रह दिन के अन्दर मिल गया जिसका नतीजा यह हुआ कि सूखे का मुकाबला करने में सरकार और किसान दोनों कामयाब रहे। यही नहीं, चेयरमैन साहब, पिछले साल तक यह कायदा रहा कि क ार वगैरा लगाने के लिए जमींदार को बोर्ड के पास 2500 रूपया जमा करवाना पड़ता था। बोर्ड ने इस साल यह भार्त हटा दी। क ार वगैरा चलाने के लिए अब जमींदार को 2500 रूपया जमा नहीं करवाना पड़ेगा, ट्यूबवैल के कुनैक ान से ही क ार चला सकता है। चेयरमैन साहब, आपको जानकर खु ाी होगी कि बोर्ड ने

फैसला किया है कि जहां जमींदार को टयूबवैल्ज पर क ार लगाने का अलग खर्चा देना पड़ता था, वह खत्म कर दिया और जो ट्यूबवैल का खर्चा है उसी पर क ार चलेगा। चेयरमैन साहब, आप पिछले साल की फिगर देखें, पिछले साल इंडस्ट्रीज को 57–58 परसैंट बिजली मिली और उसके मुकाबले में किसानों को 40–43 परसैंट से भी कम मिली है। 1979–80 में हमने 60 परसैंट से 70 परसैंट तक किसानों को बिजली दी और इंडस्ट्रीज 35–40 दिन तक बंद रही। यही नही बोर्ड ने फैसला किया कि फसल को मैच्यौर करने के लिए अगर फैक्टरीज बिल्कुल बंद करनी पड़े तो भी सरकार को और बोर्ड को कोई गुरेज नहीं होगा। इस पर मैं बोर्ड को धन्यवाद देता हूं कि उन्होनें सूखे का सामना बड़ी मेहनत के साथ किया और किसान को राहत दी। सभापति महोदय, नाथपा झाकड़ी प्रौजैक्ट के बारे मैं सरकार ने हिमाचल प्रदे ा के साथ जो ऐग्रीमेंट किया है और जिसके लिए बजट में भी प्रोविजन किया गया है, मुझे उम्मीद है उसको सिरे चढ़ाने मैं सरकार पूरी कोि ा ा करेगी। इसी तरह से मुझे यह भी उम्मीद है कि यमुनानगर में थर्मल प्लांट लगाने की जो योजना है उसे पूरा करने की भी सरकार पूरी कोि ा ा करेगी ताकि बिजली की कमी को पूरा करने में हमें सफलता प्राप्त हो सके।

श्री बीरेंद्र सिंह (नारनौंद): चेयरमैन साहब, बिजली बोर्ड के पिछले साल की कारगुजारी के बारे में चौधरी रामलाल वधवा और चौधरी रिजक राम जी ने काफी कुछ बातें कहीं।

चौधरी रिजक राम जी की बातें सुनने के बाद मैं आपके द्वारा राठी जी को कहना चाहता हूं कि वे थोड़ा अलर्ट हो जाएं। ऐसा लगता है कि आज तो यह पोर्टफोलियों इनके पास है लेकिन कल को उनके पास होने वाला है। (विघ्न)

चौधरी रिजक रामः चैयरमैन साहब, पोर्टफोलियों राठी साहब के पास हो या मेरे पास हो, बात एक ही है। (विघ्न)

श्री बिरेंद्र सिंहः चैयरमैन साहब, मैं आपके द्वारा कुछ बाते सदन के सामने रखना चाहता हूं। इसमें कोई भाको भाबुहा नहीं कि बिजली बोर्ड की पिछली कारगुजारी निंदनीय नहीं है अच्छी कारगुजारी हैं। लेकिन अब कुछ मु कलात जो पब्लिक को, खास तौर पर चौधरी देवी लाल की सरकार जाने के बाद दर पे ा आई, खास तौर पर ऐग्रीकल्चर सैक्टर में, वह वाकई में ही निंदनीय है। इसमें भी कोई भाको भाबुहा नहीं कि काफी सूखा पड़ने के बाद, गोबिंद सागर का पानी नीचे जाने की वजह से बिजली की पैदावार में कमी हुई लेकिन फिर भी बिजली का डिस्ट्रिब्यू ान इस प्रकार से किया जा सकता है कि ऐग्रीकल्चर सैक्टर को उसकी इम्पोर्टैन्स के मुताबिक बिजली मिल जाए। बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि इस सरकार के राज में पिछले 6–7 महीने से इस सैक्टर को बिजली मिल नहीं रहीं है। (ाोर) चैयरमैन साहब, चौधरी देवी लाल की सरकार ने एक पालिसी तय की थी कि किसानों को रात की बजाय दिन को बिजली दी जाएगी। चैयरमैन साहब, आपको भी किसानों की

दिक्कतों का पता है क्योंकि टूरिज्म कार्पोरे ान का चैयरमैन होने के कारण आप देहात में जाते रहते है और आप जानते है कि पिछले 6–7 महीने से उन्हें बिजली दिन में नहीं मिलती। इसके बारे में विशे ाकर बिजली बोर्ड के अफसरान को कहना चाहूंगा क्योंकि मंत्री जी तो कुछ फिक करते नहीं मैं बोर्ड के अफसरान को कहना चाहूंगा कि पिछली पालिसी को रिवाइव करो और दिन में बिजली दो। रात को जो बिजली मिलती है दससे किसान को बहुत कम लाभ होता है। चैयरमैन साहब, आप सब जानतें है कि आने वाले टाईम में हरियाणा ही नहीं बल्कि दे ा भर मैं बिजली का भयंकर अकाल पड़ सकता है, बिजली की भयंकर कमी हो सकती है। (विघ्न) चेयरमैन साहब, सरकार ने जो देवी लाल जी की सरकार के बाद सरकार बनी, हिमाचल प्रदे ा के साथ नाथपा झााकड़ी प्रोजैक्ट के बारे मैं ऐग्रीमैंट साईन किया है। उसके बारे में मेरी पहले भी कुछ रिजर्वे ान थी और अब भी है आज के दिन 300 करोड़ से ऊपर की लागत का यह प्रौजैक्ट है। इतना पैसा मैं समझता हूं कि हरियाणा अफोर्ड नहीं कर सकता। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि यह प्रौजैक्ट कई साल के बाद तैयार होगा क्योंकि मुझे अफसरान ने बताया था कि जिस जगह यह डैम बनना है वहां मु कल से साल भर में दो तीन महीने काम हो सकता हैं, नौ महीने काम नहीं हो सकता। (विघ्न)

सरदार सुखदेव सिंहः चेयरमैन साहब, माननीय सदस्य को नाथपा झाकड़ी प्रोजैक्ट के बारे में इस तरह की निरा ाा की बात नहीं कहनी चाहिए। (विघ्न)

चौधरी राम लाल वधवाः चेयरमैन साहब, सरदार सुखदेव सिंह जी को बैठे–बैठे पता नहीं क्या हो गया। मैं उनसे कहना चाहता हूं–

तू खफा मुझ से नहीं है तो बता फिर ऐ दोस्त,

तेरे लहजा में तक्कलुफ की उदासी क्यों है? (विघ्न)

श्री बिरेंद्र सिंहः चेयरमैन साहब, मैं कह रहा था कि जहां यह प्रोजैक्ट तैयार होना है वहां साल में 8–9 महीने बर्फ पड़ी रहती है और अगर यह मान भी लिया जाए कि यह प्रोजैक्ट 8–9 साल में तैयार हो जाएगा तो इस वक्त जो इसकी कौस्ट तीन सौ करोड़ रूपया है, यह उस वक्त 1,000 करोड़ रूपये तक पहुंच जाएगी। इसलिए अगर हम इतना पैसा अफोर्ड कर सकतसे है और 8–9 साल तक इन्तजार कर सकते हैं तो मैं इसकी निंदा नहीं करता लेकिन मेरी एक तजवीज है जिस मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं। चौधरी देवीलाल जी की सरकार के समय में सैन्टर में श्री रामचन्द्रन इस महकमें के इन्चार्ज थे। उस समय एक मीटिंग हुई थी जिसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू का मीर और हिमाचल प्रदे ा वगैरा सारी स्टेट्स के प्रतिनिधि भाामिल थें। मंत्री जी कागजात निकलवा कर देख लें, उस वक्त

यह फैसला हुआ था कि नाथपा झाकड़ी चूंकि महंगा प्रोजैक्ट है और नौर्द्रन जौन की स्टेट्स इसको बनाना अफोर्ड नहीं कर सकतीं इसलिए सैन्ट्रल गवर्नमैंट प्रायरिटी बेसिज पर उसे अपने पैसे से बनाए। ऐसा फैसला हो गया था। अगर मंत्री जी इस फैसले को परसू करे तो बैटर रहेगा, ऐसा मेरा विचार है। इसके अलावा उसी मीटिंग में यह भी फैसला हुआ था कि नौर्द्रन जोन में चूंकि बिजली का बड़ा भारी संकट आने वाला है इसलिए भाकड़ा कांप्लैक्स में जो दो तीन और बिजली के प्रोजैक्टस हैं, उनको फोरी तौर पर सैन्ट्रल गवर्नमैंट अपने हाथ मेें ले और काम भाुरू करे। इस फैसले को भी सरकार को परसू करना चाहिए।

चेयरमैन साहब, इसके अलावा मैं एक बात और अर्ज करना चाहता हूं। मेरा एक आइडिया है। मैं टैक्निकल आदमी नहीं हूं लेकिन उस आइडिया को बोर्ड के अफसरानों के सामने रखना चाहता हूं। ऐग्रीकल्चर सैक्टर में हरियाणा में इस समय 40 परसैंट बिजली की आव यकता है। (विघ्न) हरियाणा को जितनी बिजली की आव यकता है, उसमें से 40 परसैंट की जरूरत ऐग्रीकल्चर सैक्टर को है। आप जानते है कि भीप ब्रीडिंग फार्म हिसार में एक विंड मिल लगी हुई है। मैं वहां बतौर मंत्री एक दफा गया था। ऐक्सपर्ट्र्स ने मुझे बताया था कि वह विंड मिल 365 दिन में 315 दिन चलती रहती है। उन्होंने उस विंड मिल को कुएं के साथ लगा रखा था और इसके जरिये वे सैंकडों एकड़ जमीन के लिए कुएं से पानी निकालते थे। हौलैन्ड वगैरा में यह

तजुर्बा बहुत कामयाब रहा। वहां पर ट्सूबवैल्ज के साथ उनकी विंड मिल्ज लगी हुई है। मंत्री जी अगर ऐक्सपर्ट्स की एक टीम हौलैन्ड या दूसरे दे ाों में भेजें तो इसके बारे में और जानकारी हासिल की जा सकती है। (विघ्न) मंत्री जी को खुद जाने की जरूरत नहीं है (विघ्न) यदि इस किस्म के डि मिल लगाये जाये और कामयाब हो जायें तो जो 40 परसैंट बिजली हम एग्रीकल्चर को देते है, वह कम देनी पड़ेगी और साथ ही साथ स्टेट की टोटल प्रोडक ान पर भी असर पड़ेगा।

चौधरी रिजक रामः चौधरी वीरेंद्र सिंह विंड मिल के बारे में फरमा रहे है हरियाणा में भी अमेरिकन इंजीनियर्ज आये थे, उन्होंने जेठड़ी गांव हिसार में विंड मिल लगाया था वह कामयाब नहीं हुआ। जैसा कि ये फरमा रहे है कि हिसार में विंड मिल 315 दिन तक चलता रहा, यह सही नहीं। वह काम नहीं दे सका, फेल हुआ, अब भी वहां पर लगा हुआ है। दूसरी बात यह है कि चौधरी वीरेंद्र सिंह जी की नीति पक्की रहीं है कि हरियाणा में जो भी चीज मिलती रही, उसको ये खत्म करते रहे है।

श्री वीरेंद्र सिंहः मैं अर्ज कर रहा था कि अगर विंड मिल में हमें कामयाबी मिल जाती है तो इसका फायदा यह होगा कि 40 परसैंट जो बिजली एग्रीकल्चर सैक्टर में दे रहे हैं, वह बच जायेगी। सैकिन्डली, किसानों को विंउ मिल बना कर दे दें तो छः सात कि तों में उनसे पैसे वसूल कर सकते है। अगर हम

कामयाब हो जाते है तो हमे ाा के लिए बिजली की दिक्कत खत्म हो जायेगी।

एक बात मैं थीन डैम के बारे में अर्ज करना चाहता हूं। पांच–छः स्टेट्स की सरकारों ने लिख कर दे दिया था कि अटारनी जनरल जो फैसला करें वह सब को मानना होगा। मुझे कुछ इतला मिली है कि वह रिपोर्ट तैयार है। प्राइम मिनिस्टर के पास पहुंच चुकी है और फेवरेबल भी बताते है। मैं चाहूंगा कि उसको एक्पीडाइट करके थीन डैम के भोयर को हासिल करें ताकि अगले सालों में जो बिजली की कमी होने वाली है उस से बचाव हो सके।

श्री मूल चंद जैन(सम्भालखा): चेयरमैन साहब, आज हाउस में बिजली बोर्ड की रिपोर्ट पर विचार हो रहा है। मैं अपने साथी चौधरी राम लाल वधवा को मुबारिकबाद देता हूं कि उन्होंने इस रिपोर्ट पर प्रस्ताव देकर बड़ी अहम बात की ताकि मैम्बर साहेबान अपने विचार रख सकें। मैं एक दो बातें नुक्ताचीनी की भी कहूंगा और एक दो बाते प्र ांसा की भी कहूंगा। मुझे आज तक बिजली बोर्ड के असैट्स और लायबिलिटीज का पता नहीं चला। ये करन्ट साल के आंकड़े तो नहीं दिये है, अगर मैं गलतफहमी में न हूं तो भाायद ये 1979–80 के आंकड़ें है। चूंकि बोर्ड का 1980–81 का बजट आ चुका है इसलिए 1980–81 के आंकड़ें भी आ जाने चाहिए थे ताकि पता लगता कि उसकी आमदनी क्या है और क्या खर्च करने जा रहे है। बिजली बोर्ड ने

जो प्र ांसा का काम किया है वह भी हाउस के सामने बताना चाहता हूं। हरियाणा स्टेट पहली स्टेट है जिसने एक एक देहात तक बिजली पहुंचाई है। इसका केडिट बिजली बोर्ड को जाता है। इसमें कोई भाक नहीं है कि इतनी बुरी हालत में सूखें की हालत में बिजली बोर्ड ने लोगों को बिजली दी। यह तो ठीक है कि किसानों को मर्जी के मुताबिक बिजली नहीं मिली, दिन की बजाए रात को मिली पांच महीने बिजली बोर्ड ने रात को बिजली दी। इस सूखे को काबू करने का सारा केडिट बिजली बोर्ड को जाता है। कल यहां एग्रीकल्चर मिनिस्टर कैडिट ले रहे थे कि एग्रीकल्चर इन्स्पैक्टर्ज ने बहुत काम किया है लेकिन जहां तक मैं समझता हूं, इसका ज्यादा कैडिट बिजली बोर्ड को जाता है या सिंचाई महकमें को जाता है।

एक बात मैं और भी अर्ज करना चाहता हूं कि सन् 1978–79 में बिजली बोर्ड का बजट ऐस्टीमेट 63 करोड़ 64 लाख रूपये का था, 1979–80 में 86 करोड़ 6 लाख का रह गया और 1980–81 में 66 करोड़ 57 हजार रूपये का प्रोवीजन किया है जिस में 41 करोड़ रूपया कर्जे के तौर पर और 25 करोड़ रूपया बिजली बोर्ड को अपने साधनों से जुटाना है और कैसे 86 करोड़ से घट कर 66 करोड़ पर आ गये, इसका क्या कारण है? इससे अगली बात जो मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूं वह यह है कि आये साल हरियाणा सरकार बिजली बोर्ड को कभी 35 करोड़ कभी 38 करोड़ रूपये देती है और इस वर्श 41 करोड़ रूपया देने

जा रही है। अब देखने की बात यह है कि बिजली बोर्ड रिटर्न क्या दे रहा है। जब हम बिजली बोर्ड को इतना पैसा दे रहे है तो उसको रिटर्न भी देनी चाहिए। हरियाणा सरकार ने बिजली बोर्ड को जो कर्जा दिया है उसका सूद सन् 1979–80 में 15 करोड़ 71 लाख रूपया बैठता है। इस में से 8 करोड़ 95 लाख रूपया दिया है, 6 करोड़ और देना है। 6 करोड़ रूपया न देने के कारण यही मालूम होता है कि उन्होंने यह कहा है कि हमारे पास नहीं है। हरियाणा सरकार को जो सूद मिलना चाहिए था वह भी नहीं मिला, इस तरह कैसे काम चलेगा।

कहने का मतलब यह है कि जो इन्होंने इन्वैस्टमैंट की हे उससे सरकार को कम रिटर्न आ रही है। जो पैसा हमने बिजली बोर्ड को दिया है वह भी हमारे कन्सोलिडेटिड फण्ड में से गया हुआ है। इसमें कोई भाक नहीं कि यह चीजें लोगों को फायदे के लिए है। अगर बिजली बोर्ड किसी प्राइवेट कम्पनी या किसी सेठ बिड़ला जी जैसे आदमी के पास होता और दस पर 100 करोउ़ रूपया खर्च होता तो उनकी बहुत अच्दी आमदनी और एफीि ाएंसी होती। इतनी सारी सहूलियतें अगर हम बिड़ला को दे देते तो वह मुनाफा भी कमाता और बिजली भी सप्लाई करता। एक दो सुझाव मैं और दूंगा, क्योंकि पब्लिक अन्डर टेकिंग कमेटी मैं भी यह बात जोरों से आई थी कि बिजली की लीकेज और चोरी बहुत ज्यादा हो रही है। बिजली बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि 22.7 प्रति ात की लीकेज या चोरी हो रही है। मैं

इस बात को मानता हूं कि यह दूसरी स्टेटों की अपेक्षा कम है और हरियाणा का नम्बर इस मामले में बहुत नीचे है लेकिन फिर भी 22.7 प्रति ात की जो लीकेज या चोरी हो रही है, यह बहुत ज्यादा है। मैं यह भी मानता हूं कि हमारी लाइनें बहुत पुरानी हो गई है। इन लाइनों को बदलने की आव यकता है लेकिन हमारे जो फैट्रियों वाले कंज्युमर है, वे भारी मात्रा में बिजली इस्तेमाल करते है और उन में कई भारी मात्रा में बिजली की चोरी करते है। वे बिजली बोर्ड के कर्मचारियों से मिल लेते है। फर्ज करो किसी जगह पर 10 राईस मिलें लगी हुई है और उन सभी को बिजली मिलती है। फर्ज करो वे मिलें दो हजार टन या पांच हजार टन जीरों को चावल में तबदील करती है। इनमें से एक मिल का बिजली का खर्चा 1000/– रूपए महीना आता है और दूसरी का 100 रूपए महीने आता है क्या बिजली बोर्ड के कर्मचारी उस चोरी को पकड़ नहीं सकते? यह कितनी गलत बात है? ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बाते में मेरा एक सुझाव है, पहले भी मैंने इस बारे में सुझाव दिए थे। जो काली भेड़ें है जो फैक्ट्री वाले हैं, वे एस0डी0ओ0 से या मीटर रीडर से या किसी दूसरी छोटे कर्मचारियों से मिल जाते है और मिल कर चोरी करते है।

गवर्नर एड्रैस में भी हमारी सरकार ने क्लेम किया था कि अवेलेबल एनर्जी में से 60 प्रति ात हम किसानों को देते है। चेयरमैन साहब, मैनें अपने सवाल नं0 1441 द्वारा प्र न पूछा था जिस में 1979–80 से अब तक की फिगर्ज मांगी थी कि बिजली

बोर्ड एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज को कितनी बिजली देता है। इन्होंने जो आंकड़ें दिए है उसके हिसाब से एग्रीकल्चर सैक्टर में कम से कम 30 प्रति ात और ज्यादा से ज्यादा 45 प्रति ात बिजली दी हैं। लेकिन जो यह कहते है कि 60 प्रति ात बिजली दी है, यह गलत है। इस साल एग्रीकल्चर के लिए 45 प्रति ात से ज्यादा बिजली नहीं दी गई। मेरी समझ में नहीं आता कि यह सरकार 60 प्रति ात का कैसे क्लेम कर सकती है।

चौधरी रिजक रामः आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर! सभापति महोदय पिछले साल 1978–79 के साल में 40 प्रति ात से 45 प्रति ात तक बिजली किसानों को मिली लेकिन सूखे के टाईम 60 प्रति ात से 70 प्रति ात तक हर महीने बिजली दी गई।

श्री मूलचंद जैनः मुझे बड़ा अफ सोस है कि मेरे दोस्त ऐसी बाते कर रहे है उन्होंने पता ही नहीं किया कि यह आंकड़ै कहां से कुलेक्ट किए गए है। लेकिन मेरे पास जो आंकड़े है वे सवाल नं0 1441 के जवाब में है और यह जवाब हरियाणा सरकार की ओर से आया हैं। यह आम लोगों की ि ाकायत है कि किसानों से इम्तयाजी सलूक हो रहा है, जैसा कि इन फिगर्ज से जाहिर होता है। इंडस्ट्रियल सैक्टर को रियायत दी जा रही है। इंडियन एक्सप्रैस अखबार की मेरे पास एक कटिंग है जो 3–4 नवम्बर की है। इस कटिंग के अन्दर यह है कि जब चौधरी रिजक राम बतौर मिनिस्टर थे तो उन्होंने यह ि ाकायत की थी

कि हमारे हरियाणा बिजली बोर्ड के कर्मचारी चोरी करवाते है इसलिए उन पर इस बात की पाबंदी लगाई जाये। वे इस बात को जानते है और मानते है कि चोरी छिपे से बिजली दी जा रही है।

चेयरमैन साहब, हरियाणा के किसानों को उम्मीद थी कि 12 घण्टे बिजली मिलेगी लेकिन ये 8 घण्टे बिजली दे रहे है और फैक्ट्री वालों को ज्यादा बिजली दे रहे है। आयन्दा के लिए मुझे वि वास है कि हमारे बिजली बोर्ड के चेयरमैन मि0 खन्ना हैं, वे इस बारे में काफी दिलचस्पी ले रहे हैं मैनें जो सुझाव बिजली बोर्ड के बारे में रखे है मुझे उम्मीद है कि सरकार उन पर जरूर गौर फरमायेगी।

डा0 बृज मोहन गुप्ता (जगाधरी): चेयरमैन साहब, मैं तो सिर्फ एक ही सुझाव देना चाहता हूं कि बोर्ड की एग्रीकल्चर पावर–लाईन और इंडस्ट्रियल पावर–लाईन को अलग–अलग कर दिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि पावर–लाईन इक्ट्ठी होने के कारण कई जगहों पर बड़ी मु कलात आ रही है। कई बार इंडस्ट्रियल पावर–लाईन के साथ डामैस्टिक–लाईन भी बंद हो जाती है। अगर अलग–अलग लाईन्ज की सुविधा प्रदान की दी जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। यमुनानगर के अन्दर थर्मल प्लांट लगाए जाने के बारे में कई दफा आ वासन दिया गया है लेकिन अभी तक इस आ वासन पर अमल नहीं हुआ हैं। पिछले साल भी वहां पर थर्मल प्लांट लगाए जाने का आ वासन दिया

गया था और इस साल भी दिया गया है। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि वहां पर थर्मल प्लांट को लगाए जाने का कार्य जल्दी से जल्दी भ्रारू किया जाए।

श्री सभापतिः मैं भी आपकी बात से सहमत हूं।

चौधरी संत कंवर (हसनगढ़): सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया है। चौधरी रिजक राम जी ने अपने टाईम की बातें, जब वे मिनिस्टर थें, बढ़ा–चढ़ा कर पे ा की है। उन्होंने कहा कि उस समय किसानों को बहुत बिजली मिली है लेकिन चेयरमैन साहब मैं यह बता देना चाहता हूं कि जिस साल सूखा पड़ा हुआ था और गेहूं की बिजाई हो रही थी तो उस समय चौधरी रिजक राम जी मिनिस्टर थे। उस वक्त हरियाणा के तमाम ट्यूबवैल्ज को इतनी बिजली दी गई थी जितनी हरियाणा के चार कारखानों में इस्तेमाल होती थी। यानी फरीदाबाद के 3 कारखाने और एक यमुनानगर का कारखाना, इन चारों कारखानों मैं जितनी बिजली की खपत होती थी उतनी सारे हरियाणा के किसानों को दी जा रही थी।

चौधरी राम लाल वधवाः चेयरमैन साहब, बिजली बोर्ड के अधिकारी काफी काबिल है इसलिए मैम्बरों ने जो सुझाव दिए है उस पर गौर अव य कर लेंगे। बाकी मंत्री जी से क्या कहना है? मैं तो यही कहूंगा–

'पूछ इन से लजत जानमा, बरबाद रहने के सामान

सैकड़ों इसने जला कर फूंक डाले है।

श्री सभापतिः वधवा साहब, आप मुझे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे है। इस लिए मुझे भी कुछ कहने पड़ेगा। (व्यवधान)

चौधरी संत कंवरः चेयरमैन साहब, जैसे कि जैन साहब ने कहा है कि बिजली बोर्ड में सबसे बड़ा घाटे का कारण यह रहा है कि बिजली बोर्ड के जो आफिसर है जैसे, एस0डी0ओ0 हैं, मीटर रीडिंग करने वाले कर्मचारी है या और दूसरे कर्मचारी हैं, वे बिजली की चोरी करवाते है। मैं यहां तक कह सकता हूं कि बड़े आफिसर बिजली की चोरी करवाते है। बिजली बोर्ड के लिए जो सामान खरीदा जाता है उसमें भी इन बड़े अधिकारियों के लिए प्रोफिट की बहुत बड़ी परसैंटेज फिक्स होती है। नाजायज तौर पर बिजली दिए जाने के कारण बोर्ड करोड़ों रूपए के घाटे में जा रहा है।

चेयरमैन साहब, अभी कुछ दिन पहले पानीपत थर्मल प्लांट मैं, एक एक्स0ई0एन0 की गलती की वजह से एक दिन के अन्दर चार लाख रूपए का नुकसान हुआ है।

थर्मल प्लांट में आग लगी लेकिन आज तक किसी जिम्मेदार एक्स0ई0एन0 या एस0डी0ओ0 के खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं की गयी है। हमारे मंत्री जी को तो भाायद इस

बात का पता भी नहीं है कि वहां पर कोई नुकसान भी हुआ है या नहीं। आखिर में एक बात कह कर मैं बैठ जाउंगा। चेयरमैन साहब नाथपा झाकड़ी प्रोजैक्ट हम बनाने जा रहे है। उसमें हरियाणा सरकार का भी हिस्सा है। जिस प्रकार भाखड़ा मैनेजमैंट बोर्ड में हिस्सा है उसी तरह से हमारा नाथपा झाकड़ी प्रोजैक्ट में भी हिस्सा होना चाहिए। चूंकि 100 में से 80 रूपए हरियाण सरकार उस प्रोजैक्ट पर खर्च करेगी इसलिए मेरा कहना यह है कि उसकी मैनेजमैंट में भी हमारा 80 प्रति ात हिस्सा होना चाहिए। इतना कहकर मैं अपना स्थान लेता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

सिंचाई तथा बिजली मंत्री(चौधरी मेहर सिंह राठी): इससे पहले कि आदरणीय मैम्बरान की तरफ से उठाए गए सवालों का जवाब में कुछ कहा जाए, मैं कुछ काबिले–तारीफ सूरतेहाल का जिक्र करना चाहूंगा। हरियाणा इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड को कायम हुए 13 साल हो चुके है। यह एक बहुत बड़ी सरकारी संस्था है जो मुख्तलिफ– ाोबों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रही है। इन 13 वर्शों के दौरान हरियाणा ने सामाजिक और आर्थिक तरक्की में बिजली की जराए को ज्यादा विस्तार देकर हरियाणा की जनता की खु ाहाली में अहम रोल अदा किया है। जब हरियाण बना था उस वक्त घरेलू, कामि र्यिल, खेतीबाड़ी के कामों और उद्योगों को चलाने के लिए बिजली खपतकारों की तादाद 3.12 लाख थी और हमारे पास कुल 370 मैगावाट बिजली अवेलेबल थी। उस

वक्त 17 लाख यूनिट बिजली की खपत होती थी लेकिन आज इन खपतकारों की तादाद 11 लाख के करीब पहुंच गई है। इस वक्त राज्य में 2 लाख 2 हजार 36 ट्यूबवैल्ज है। आज खेती बाड़ी और उद्योगों के क्षेत्र में बिजली की मांग बहुत ज्यादा बढ़ गई है। (व्यवधान व भाोर)

श्री सुरेंद्र सिंहः आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। चेयरमैन साहब, राठी साहब उस तरफ मुंह करके बोल रहे है और हमारी समझ में इनकी बातें नहीं आ रही है।

We are also interested to know what the Minister is speaking as we are very much concerned with the affairs of the State.

चौधरी मेहर सिंह राठीः पिछले साल खरीफ के दिनों में मौनसून के बर वक्त न होने के बाईस बेमिसाल, खोफनाक खु ाकसाली का सामना करना पड़ा, उस वक्त बड़ी गम्भीर समस्या ने सिर उभारा। एक ऐसे वक्त में जब बिजली की मांग बहुत ज्यादा थी और जराये की बहमरसानी भी इतनी ज्यादा न थी तो हकूमत को इन समस्याओं के चैलेन्ज का सामना करना पड़ा। मैं यहा पर थोड़े से लफजों में यह कहूंगा कि इन समस्याओं पर किस तरह काबू पाया गया (व्यवधान) चेयरमैन साहब यह साबित हो चुका था कि जुलाई से सितम्बर 1979 के दिनों में जहां बिजली मुअस्सिर थी, ट्रांसमीटर और तकसीम के तरीके भी बढ़ी हुई मांग को पूरा करने मैं असमर्थ थे और ट्रांसफार्मरों की खराबी

और ब्रेक डाउन की ि ाकायतें आम थी। बोर्ड ने जो पहला कदम उठाया वह था खराब ट्रांसफार्मरों को बदलना और सभी जगह ट्रांसमि ान लाईन को मजबूत बनाना। इस तरह मार्किट में से कच्चा माल खरीद कर, धूलकोट के ट्रांसफार्मर वर्क ााप की कुवत को 200 से बढ़ कर 400 यूनिट माहवार किया गया खोफनाक खु ाकसाली दरियाओं और नहरों में पानी की कमी के दिनो मैं एच0एस0ई0बी0 ने खपतकारों को मुख्तलिफ कैटेगरीज को 1 करोड़ 25 लाख यूनिट रोजाना सप्लाई की गयी। बिजली की इस सप्लाई में फसल बोने वालों में से धान और कपास की फसल बोने वालों की जरूरियात को तरजीह दी गयी। 1978 में सिर्फ 80 लाख यूनिट तकसीम हुए थे। इस तरह खु ाकसाली अगरचे इत्तफा किया थी और बिजली की खु ाकसाली बहुत महदूद थी। तो भी हमने सूरते हाल को अच्छी तरह संभाल कर खरीफ की फसल को काफी हद तक बचाया। इस मकसद के लिए एच0एस0ई0बी0 ने पिछले साल की निस्बत 50 प्रति ात ज्यादा बिजली दी। यहां इस बात का जिक्र भी मुनासिब होगा कि 1978 में 4.6 लाख हैक्टेयर जमीन में धान की का त की गयी जबकि खरीफ के पिछले मौसम में यह रकबा बढ़ कर 5.15 लाख हैक्टेयर हो गया।(व्यवधान)

ट्रांसमि ान सिस्टम भी इतना बेहतर न था क्योंकि करीबन पिछले दो वर्शों में इसे नैगलैक्ट कर दिया गया था। सब–स्टे ानों की तामीर और नई लाईने बिछाने की तरफ ज्यादा

तवोज्जह दी गई। 400 किलावाट की डेहर पानीपत लाईन पर तवोज्जह दी गई जिससे वोलटेज की हालत सुधरी और ट्रिपिंग और ब्रेक डाउंज की तादाद में कमी वाका हुई। पिछले दस महीनों में एच0एस0ई0बी0 ने 132 किलोवाट के आठ स्टे ान्ज 66 किलोवाट के 6 स्टे ान्ज और 33 किलोवाट के 29 स्टे ान्ज मुकम्मल किए या लगाएं इनके अलावा हरियाणा में और स्टे ानों पर भी काम जारी है। दरअसल अन्दाजन तीस करोड़ रूपए की लागत से 125 सब–स्टे ानों की तामीर का पंद्रह महीनों के एक जबरदस्त प्रोग्राम पर तनदेही से काम हो रहा है। दूसरी अहम समस्या उस वक्त पैदा हुई जब सर्दियों के भाुरू में मुखतलिफ जराए से हासिल होने वाली बिजली की सप्लाई में कमी आई। आरदरणीय मैम्बरान जानते है कि भाखड़ा की गोबिंद सागर झील मैं पानी की सतह पहले ही नारमल सतह से 64 फीट नीचे जा चुकी है। इसी तरह पोंग से भी कम पानी हासिल हो रहा है। यह सब इन इलाकों में बारि ाों की कमी की बजह से हुआ जिससे दरयाओं में पानी की सतह कम हो गई, जिसकी वजह से पोंडागेज हाईडल के बहाव में कमी आई।

रबी की बुआई को कोई नुकसान न पहुंचे इसलिए ट्यूबवैल्ज के लिए बिजली की लगातार सप्लाई को यकीनी बनाने की कोि ा ा की गई है। देहली के तीन बिजली घरों से हरियाणा के हिस्सें की पूरी बिजली हासिल करने के लिए कोि ा ा की गई और बदरपुर पावर हाउस से मजीद बिजली

राहत हासिल करने के लिए वजीरेआला की सतह पर बातचीत हुई है। पड़ोसी राज्य राजस्थान से भी इसी तरह की दरखास्त की गई है। बदकिस्मती से राणा प्रताप सागर न्युक्लीयर पावर प्लांट के फेल होने की वजह से राजस्थान को खुद परे ाानियों का सामना है जिस की वजह से वह कोई मदद नहीं दे सकता। आखिरकार वजीरेआला की जाति मदाखलत की वजह से कुछ बिजली बदरपुर से हासिल हुई। बिजली के ठीक इस्तेमाल की वजह से ही बुवाई का काम ठीक ढ़ंग से पूरा किया जा सका। जैसा कि खड़ी फसल देखकर अन्दाजा किया जा सकता है कि ट्यूबवैल्ज को दस से बारह घंटे रोजाना बिजली दी जाती रही।

पिछले साल जुलाई और अगस्त में उद्योगों की बिजली सप्लाई में कटौती लागू की गई। छोटे उद्योगों को बिजली कटौती से पूरी छूट दी गई। छोटे उद्योगों का तीस से चालीस फीसदी और बड़े खपतकारों पर पचास से आठ फीसदी कटौती लागू की गई। मैं यह कहना चाहूंगा कि किसानों की जरूरत को मद्देनजर रखते हुए सनतकारों ने बिजली की कटौती के बावजूद न सिर्फ अपनी पैदावार को काफी हद तक बरकरार रखा बल्कि दवाइयों से मुताल्लिका यूनिट जैसे लाजिमी उद्योगों को बिजली कटौती से छूट दी गई। सीजनल उद्योगों को जैसे राइस भौलर, कपास की उटाई, गन्ने की पिलाई और खांडसारी वगैरह के लिए खास तौर पर बिजली का प्रबन्ध किया गयां वनस्पति, खाने

लायक तेलों और आटा वगैरह की लाजिमी पैदावार और सप्लाई को बनाए रखने के लिए बिजली सप्लाई में खास रियायत दी गई।

जबकि हरियाणा में बिजली सिस्टम में सुधार लाकर फसल और इंडसटरी को बचाया जा सका है तो पड़ोसी राज्य में सूरतेहाल ज्यादा संगीन हो गई है आदरणीय मैम्बरान याद करें कि पिछलें साल यू0पी0 में लम्बे अर्सें तक साठ से सौ फीसदी बिजली कटौती लागू की गई थी। इसी तरह राजस्थान में पचास से सौ फीसदी बिजली सप्लाई में कटौती रही और पंजाब में भी लगभग साठ फीसदी बिजली सप्लाई में कटौती हुई। पंजाब जो हरियाणा की तरह ही कृशि प्रधान राज्य है, वहां ट्यूबवैल्ज को पांच घंटे रोजाना बिजली सप्लाई मिलती है। यू0पी0 में तो इस अर्सा के दौरान बिजली की कमी की ज्यादा गम्भीर समस्या रही है। वहां ट्यूबवैल्ज को एक दिन छोड़ कर सिर्फ चार घंटे बिजली सप्लाई मिलती है। हरियाणा में थोड़े अर्सें के दौरान बिजली की कमी को ज्यादा गम्भीर समस्या रही है। वहां ट्यूबवैल्ज को एक दिन छोड़ कर सिर्फ चार घंटे बिजली सप्लाई मिलती है। हरियाणा में थोड़े अर्सें के लिए ऐसा रहा कि एक करोड़ यूनिट की जगह 75 लाख यूनिट बिजली हासिल होती रही और ट्यूबवैल्ज को बिजली का साठ फीसदी हिस्सा भी कभी–कभी दिया जाता रहा। यह बताना मुनासिब होगा कि वर्श 1978 के मुकाबले में 1979 में, जबकि खेती के लिए 50 फीसदी बिजली में इजाफा हुआ, उद्योगों

को दी जाने वाली बिजली में दस फीसदी से ज्यादा कटौती नहीं की गई।

हमारी पहुंच लचकीली रही है। राज्य के जनूबी पूरबी हिस्से में रबी के मौसम और तैयार फसलों के लिए पानी की जरूरत को महसूस किया गया। इन इलाकों में जमीन रेतीली होने के कारण ज्यादा पानी जाया होता है। सिरसा, हिसार, भिवानी, गुड़गावां, रोहतक और महेन्द्रगढ़ के इलाकों में से 7 मार्च 1980 से ट्यूबवैल्ज को आठ से ग्यारह घंटे रोजाना बिजली की सप्लाई दी जा रही है। कल से हरियाणा के दूसरे इलाकों को भी आठ से दस घंटे रोजाना बिजली की सप्लाई मिला करेगी। हम आ ाा करते है कि ट्यूबवैलों से सिंचाई हासिल करने वाले इलाकों में खड़ी फसलों को बचाया जा सकेगा। इस बारे में ट्यूबवैल्ज को बरूएकार लाने के लिए चलाई गई खास मुहिम काफी कारगर रही है। अक्तूबर 1979 से अब तक तीन हजार महावार की दर से पंद्रह हजार नए ट्यूबवैल्ज को बिजली के कुनैक ान दिए गए। इस तरह 1978 के दौरान हर माह 1200 से 1500 तक बिजली के कनेक ान दिए गए। चूंकि बिजली का हर युनिट कीमती होता है इसलिए लाइन के नुकसान को कम से कम करने की कोि ा ा की गई हैं। हाउस की जानकारी के लिए यह बताना ठीक होगा कि साल 1971–72 में 27.30 फीसदी लाइन नुक्सान हुआ। पिछले साल यह नुकसान कम होकर 21.2 फीसदी रह गया। नतीजे के तौर पर दो सौ मिलियन यूनिट रोजाना

मजीद बिजली हासिल होने लगी। लाईन के नुकसान को कम करने की खास कोि ा ा की जा रही है। हाल ही में बिजली चोरी रोकने के लिए बोर्ड ने खास मुहिम चलाई है। पिछले बोर्ड के चौकसी अमला ने सात सौ कुनैक ान की जांच की। बिजली चोरी की तीस वारदातों और 116 गैर कानूनी ऐक्सटें ान की वारदातों का सुराग लगाया गया। 2.5 लाख रूपए मुतहलिका लोगों के खेतों में डाला गया। संबंधित तीन कर्मचारियों को मुअतिल किया गया। बिजली की चोरी और नाजायज इस्तेमाल की रोकथाम और मुहिम को कामयाब बनाने के लिए बोर्ड के सीनियर आफिसर राज्य के दौरे पर जाते रहते है।

हरियाणा में बिजली लाइन में ज्यादा नुकसान पहुंचाने का एक सबब यह भी है कि एक कृशि प्रधान प्रान्त होने के नाते यहां दूर तक ट्यूबवैल्ज को बिजली सप्लाई देनी होती है। मतलब यह है कि सप्लाई सिस्टम में ज्यादा सुधार लाने की गर्ज से सब–स्टे ानों का दर्जा बढ़ा कर इनकी मौजूदा सलाहियत को बढ़ाये जाने की कोि ा ा की जा रही है और इस ढ़ांचे में तबदीली लाई जा रही है।

सवाल यह है कि हम ज्यादा बिजली हासिल करने के लिए क्या कर रहे है। हमारा अन्दाजा है कि 1985 तक अगर हरियाणा बिजली के और साधन न जुटायेगा तो हालत संगीन सूरत अख्तियार कर जायेगी और हमें एक बड़े चैलेन्ज का सामना करना पड़ेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए नई हाईडल

स्कीमों को बढ़ाने की कोिा ा की गई है। आदरणीय मैम्बरान को याद होगा कि वर्श 1978–79 के दौरान पानीपत थर्मल प्लांट को बड़ी दुस्वारी का सामना करना पड़ा था। जब हमें भयानक सूखें का सामना करना पड़ा तो हमने फैसला किया कि प्लांट जिसे 30 जून 1980 को चालू किया जाना था, हमारे लिए फायदेमंद न रहेगा। हमने इसकी तमाम खराबियों को जल्द से जल्द दूर करने की कोिा ा की। आखिरकार मुकरर वक्त से आठ माह पहले 1 नवम्बर यानि हरियाणा दिवस के मौके पर भारत के राश्ट्रपति ने इस प्लांट का उद्घाटन किया। तब से इस प्लान्ट से दस से बारह लाख यूनिट रोजाना बिजली की पैदावार हो रही है। पानीपत थर्मल प्लांट का यूनिटII भी 23 मार्च 1980 से पैदावार करना भुारू कर देगा।

फरीदाबाद थर्मल प्लांट औसतन बारह लाख यूनिट रोजाना बिजली की पैदावार कर रहा है। फरीदाबाद थर्मल प्लांट का तीसरा यूनिट तकरीबन मुकम्मल होने को है जहां तक पानीपत थर्मल प्लांट का ताल्लुक है इस यूनिट की पैदावार सल्हाइयत अपनी किस्म से भारत के दूसरे यूनिटों से अच्छी है। हरियाणा और हिमाचल प्रदे ा सरकारों के दरम्यान नाथपा झाकड़ी हाईडल प्रोजैक्टस जैसी एक बड़ी स्कीम में हिस्सेदारी का मुहाइदा हुआ है। इस स्कीम के लिए माली अखराजात जुटाने की गर्ज से दोनों सरकारें वि व बैंक से कर्जा हासिल करने की दरखास्त करेगी। वैस्टर्न जमुना हाईडल प्रोजैक्ट जो कई वर्शों से अलतवा मैं था

पर भी काम भुरू किया गया है और हम उम्मीद करते है कि यहां एक माह के अन्दर पहले प्लान्ट की बुनियाद डाल दी जाएगी। पहला पावर हाउस 1980 में मुकम्मल हो जाएगा। इस तरह थर्मल प्लांटों को वक्त से पहले मुकम्मल करके और इनकी सल्हाईयत को बढ़ा कर आगे आने वाली बिजली की कमी के मसले का मुकाबला कर सकेंगे। हमने ज्यादा बिजली हासिल करने के प्रोग्राम की भुरूआत कर दी है ताकि हरियाणा की आर्थिक तरक्की के पहिए को तेजी से चलाया जा सके।

मुखतलिफ स्कीमों को मुकम्मल करने के लिए हरियाणा स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड ने साल 1979–80 के लिए 70 करोड़ रूपए का बजट बनाया है। इसमैं से 36.29 करोड़ रूपए बिजली की पैदावार के लिए मखसूस किए गए है। ट्रांसमी ान लाइनों को बिछाने के लिए 16.50 करोड़ रूपए रखे गए है। बोर्ड बीस हजार ट्यूबवैल्ज को बिजली देने का ख्याल रखता है और गांव में बिजली पहुंचाने के लिए भी 8.11 करोड़ रूपए खर्च करने का इरादा रखता है। जैसा की आदरणीय मैम्बर जानते है बोर्ड मुखतलिफ अदारों जैसे कि एल0आई0सी0 रूलर इलैक्ट्रिफिके ान कार्पोरे ान, एग्रीकल्चर रिफाइनैंस डिवैलपमैंट कापोरे ान, हिन्दुस्तान अर्बन डिवैलपमैंट कार्पोरे ान और मार्किट से उधार लेने जैसे तरीको से काफी माली जराए हासिल करने में कामयाब रहा हैं इस साल बिजली की फरोख्त से अन्दाजन 71 करोड़ रूपए हासिल हुए जब कि इस पर 41.5 करोड़ रूपए खर्च उठा

था। इस तरह 27.5 करोड़ रूपए ब्याज की अदायगी और खर्चे करने वाली संस्थाओं के कर्जों की दुबारा अदायगी के लिए बाकी बचे 1978–79 के दौरान बोर्ड के औसत सरमाया पर दस फीसदी रिटर्न था। इलैक्ट्रिसिटी ड्यूटी 4.4 फीसदी मिलाकर यह रिटर्न 14.5 फीसदी होता है जो कि एच0एस0इ0बी0 की तरफ से हासिल किए गए अब तक के रिटर्न में सब से ज्यादा है। 1977–78 में इसके औसत सरमाये पर यह सिर्फ 7.2 फीसदी था और इस पर चार फीसदी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी थी। इस तरह कुल मिलाकर यह रिटर्न 11.2 फीसदी थी। यहां पर अमर काबिले जिक है कि हरियाणा में तकरीबन दो लाख से ज्यादा ट्यूबवैल्ज में से ज्यादा तादाद फ्लेट रेट के हिसाब से अदायगी करती है जो कि इस वक्त 16 रूपए फी बी0एच0पी0 हैं। वे ट्यूबवैल्ज जो मीटरों पर है औसतन बीस पैसे फी यूनिट अदा करते है। फ्लेट रेट के नतीजे के तौर पर जो कि गवर्नमैंट की तरफ से किसान भाइयों की इमदाद के लिए भुारू किया गया, से बोर्ड को साल 1979–80 में छः करोड़ रूपए का माली खसरा को बर्दा त करना पड़ा। यह खसार 1980–81 में बढ़कर आठ करोउ़ रूपए की इनडायरैक्ट सबसिडी ले रहा है। फ्लेट रेट से पहल ट्यूबवैल्ज को 19 पैसे फी यूनिट के हिसाब से बिजली दी जाती थी, अब यह कम होकर चौदह पैसे तक पहुंच गई है। हम कामयाबी से अपनी समस्याएं हल कर रहे है और उम्मीद है कि अप्रैल के आखिर तक हम पावर कट में रियायत को बर्दा ात करने के काबिल हो जाएंगे ताकि हरियाणा की अर्थव्यवस्था को बोर्ड की यह देन बदस्तूर अहम रहे।

चौधरी राम लाल वधवाः चेयरमैन साहब, मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है यह समझ नहीं आया है और मैं इनको दाद दिये बगैर नहीं रह सकता। किसी ने कहा है–

इलाजे दर्द में भी दर्द की लज्जत पर मरता हूं

जो थे छालों में कांटे नो के सोजन से निकाले है।

श्रीमती सुशमा स्वराजः चेयरमैन साहब, इसकी बजाय अगर यह कहा जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा–

हकीकत से नफरत हिमाकत पे नांता

हमें ऐसे लोगों से पाला पड़ है।

खाद्य तथा पूर्ति मंत्री(चौधरी गजराज बहादुर नागर): इसका जवाब मैं दे देता हूं– कोहे दामन दस्ते भाहरा से गुजर जाता हूं मैं

ये तो क्या गरदि ो दौरा से टकराता हूं मैं,

लेकिन एक मोहब्बत की नजर है,

जिससे घबराता हूं मै।

श्रीमती सुशमा स्वराजः ऐ दिले नादां सरे महफिल न कर गम का मिला,

कुछ भी हो चाहे रजाये साहिबे महफिल को देख,

जिन्दगी के गम हकीकत में बड़े पुरलुत्फ है,

ि ाकवे गम करने वाले लज्जते हासिल को देख।

चौधरी राम लाल वधवाः चेयरमैन साहब, यह तो वही हालत हो गई–

न पूछ इनसे लज्ज्त खानमां बरबाद रहने की,

न ोमन सैकड़ों इसने बनाकर फूंक डाले है।

श्री सभापतिः काफी हो गया है, अब अगली आइटम टेक–अप की जाएगी (व्यवधान)

(iii) वर्श 1977–78 के लिए हरियाणा कृशि वि वविद्यालय, हिसार की वार्शिक आडिट रिपोर्ट

Chaudhri Ram Lal Wadhwa(Karnal): Sir, I beg to move-

That the Annual Audit Report of the Haryana Agricultural University Hisar, for the year 1977-78, which was laid on the Table of the House on 3rd March, 1980, be discussed.

Mr. Chairman: Motion moved-

That the Annual Audit Report of the Haryana Agricultural University Hisar, for the year 1977-78, which was laid on the Table of the House on 3rd March, 1980, be discussed.

चौधरी राम लाल वधवाः चेयरमैन साहब, सब से पहले तो मैं इसके बारे में एक भोर कह देता हूं–

फला फूला रहे या रब चमन मेरी उम्मीदों का

जिगर का खून दे दे कर ये बूटे मैंने पाले है।

सभापति महोदय, यह जो रिपोर्ट आई है इसको मैंने बड़े प्रेम से पढ़ा है। इसमें कोई वि ोश बात नहीं है जिस पर नुक्ताचीनी की जा सके और फिर यह हरियाणा एग्रीक्लचर यूनिवर्सिटी हमारे हरियाणा की है और दे ा भर मैं अच्छी यूनिवर्सिटी भुमार की जाती है। इसके बारे में मैं एक मिनट में एक बात कहकर खत्म कर दूंगा। चेयरमैन साहब, इसके इंट्रोडक् ान में लिखा है।

"The main thrust during the year under repost has been towards improving the teaching porgramme, conducting research on problems in agricultural schemes, and disseminating the results for the benefit of the rural community by developing better liaison with the State Department of Agriculture and Animal Husbandry".

चेयरमैन साहब, इस यूनिवर्सिटी को जो ग्रांट–इन–एड मिली है उसका ब्यौरा पेज 2 पर है। उसके अनुसार 6 करोड़ 27 लाख और 65 हजार रूपया ग्रांट–इन–एड के रूप में मिला और इन्होंने 5 करोड़ 36 लाख 99 हजार रूपया खर्च किया है। इस हिसाब से 90 लाख रूपया बच गया है। इस बारे में मेरा यह

कहना है कि इस यूनिवर्सिटी को सरकार ने जितना रूनया दिया है उसका पूरा इस्तेमान होना चाहिए ताकि जिस मकसद के लिए रूपया दिया गया है उसका लाभ स्टेट को मिल सके। चेयरमैन साहब हरियाणा प्रान्त एक कृशि प्रधान प्रान्त है। इसकी उन्नति खेती के ऊपर निर्भर करती है और इस दि ाा में हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अच्छा काम करेगी तो उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ हमारे किसानों और आम आदमी को मिल सकेगा। सभापति महोदय, मैं जब योजना बोर्ड का उपाध्यक्ष था तो मुझें वहां पर जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैंने वि ववविद्यालय में उनके रिसर्च के काम को देखा जोकि सही मायनों में अच्छा था। मैं तो इतना कहूंगा कि –

फला फूला रहे या रब चमन मेरी उम्मीदों का,

जिगर का खून दे दे कर यह बूटे मैनें पाले है।

सभापति महोदय मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि मैं जब वहां पर गया और उनके साथ मेरी मीटिंग हुई और मीटिंग में आने वाले हरेक प्रोफैसर ने अपनी अपनी रिसर्च के बारे में मुझे जानकारी दी तो मैंने उन से केवल एक ही बात पूछी थी कि यह जो आप रिसर्च वर्क कर रहे हो चाहे मवे ि ायों के ऊपर हो चाहे अनाज के ऊपर हो चाहे गेहूं के बारे हो सरकार ने जिस काम के लिये आपको इतना रूपया दिया है क्या आपकी इस रिसर्च से गांवों में रहने वाले किसानों को कोई लाभ पहुंचाते है। उन्होंने

मुझे कहा कि इसी बात की हमारे में कमी है। हम कुछ सैन्टर्ज गांवों में चुन लेते है और वहां जाकर लैक्चर के जरिये लोगों को सुझाव देते है। वैसे सही बात तो यह है कि हमार रिसर्च का लाभ आम किसान को नहीं होता है। मैंने कहा कि कार्य तो वाकई सराहनीय है क्योंकि रिसर्च के जरिए अच्छी नसल की गाय, भैंस, बकरियां आदि पैदा की गयी है जिसके कारण एग्रीकल्चर यूनीवर्सिटी में काफी बड़ी संख्या में अच्छें मवे ाी उपलब्ध है लेकिन सभापति महोदय, हरियाणा के दूसरे स्थानों पर इस रिसर्च को कोई लाभ नहीं हो रहा है। हमारे हरियाणा में अच्छें मवे ाी नहीं है, इसका कारण यह है कि जो रिसर्च वर्क यूनीवर्सिटी में हो रहा है, उसका सही लाभ गांवों में रहने वाले किसानों और मजदूरों तक नहीं पहुंच रहा है। इसलिये मेरा अपनी सरकार को सुझाव है कि सरकार और एग्रीकल्चर यूनीवर्सिटी दोनों मिलकर इन सुझावों पर विचार करे और देखें कि कौन से ऐसे साधन अपनाएं जा सकते है जिनसे हमारे हरियाणा के लोगों को लाभ पहुंच सकता हो ताकि गांवों मैं रहने वाले किसानों को अच्छे मवे ाी उपलब्ध हो सके।

(No. other hon. Member rose to speak)

Mr. Chairman: Now the House will take up the next item.

(iv) न्यायाधी ा गुरनाम सिंह जांच आयोग द्वारा दी गई रिपोर्ट

Shri Hira Nand Arya(Loharu): Sir, I beg to move-

That the Report by Justice Gurnam Singh, Commission of Inquiry, relating to the strike and unrest in the Medical College, Hospital and other attached institutions and the Maharishi Dayanand University, Rohtak, which was laid on the Table of the House on the 3rd March, 1980, be discussed.

Mr. Chairman: Motion moved-

That the Report by Justice Gurnam Singh, Commission of Inquiry, relating to the strike and unrest in the Medical College, Hospital and other attached institutions and the Maharishi Dayanand University, Rohtak, which was laid on the Table of the House on the 3rd March, 1980, be discussed.

श्री हीरा नंद आर्या: सभापति जी इस रिपोर्ट के पे ा करने की और कमि ान अप्वायंट करने की आव यकता तो मैं समझता हू उसी दिन जाहिर हो गई थी जिस रोज दुर्भाग्यव ा 28.9.77 को श्री हरद्वारी लाल जी को अप्वायंट कर दिया था। सभापति जीं, मुझे इस बात को स्वीकार करने में किसी बात को संकोच नहीं है कि जहां हमारे पिछले मुख्य मंत्री चौधरी देवी लाल जी ने काफी अच्छे काम किये वहां श्री हरद्वारी जी की अप्वायंटमैंट करके एक दुर्भाग्य की बात की है। सभापति महोदय, यह सारा मामला 12 अप्रैल से लेकिर 2.6.1978 तक चलता रहा। मैडिकल कालेज में जो मानवीय दुर्व्यवहार हुआ उसकी चर्चा सारे दे ा मं चली और उसी के कारण गुरनाम सिंह कमि ान की अप्वायंटमैंट

हुई। उस वक्त मैडीकल कालेज के प्रिंसिपल श्री गर्ग थे और उनकी ससपेन्न ान ही इस झगड़े का मेन कारण था। इसके साथ–साथ जो फंडज थे, वह करीब 6–7 लाख के करीब थे, जिन को श्री हरद्वारी लाल जी ने गलत तरीके से होस्टल के निर्माण के लिये इस्तेमाल करना भुरू कर दिया था, और इसी बात पर जयादा नाराजगी भुरू हुई। जब से वे यूनिवर्सिटी में वाइस चान्सलर के पद पर लगे उस दिन से लेकर आज तक यह नाराजगी चलती आ रही हे जिसके कारण वहां पर अ ाांति फैली। सभापति जी, सही मायनों में अगर हम देखें तो पता चलेगा कि जिस मुद्दे के लिये यह यूनिवर्सिटी बनायी गई थी वह मुद्दा ही समाप्त हो गया है। इस मामले को देखने के लिए कैबिनेट स्तर की एक कमेटी बनाई गई थी जिसके चौधरी वीरेंद्र सिंह श्री बलदेव तायल और श्री मूलचंद जैन मैम्बर थे। इस समस्या का समाधान वे लोग भी न निकाल सके क्योंकि श्री हरद्वारी लाल जी की नजाकत ही अलग थी जिसकी वजह से इस समस्या का समाधान नहीं हो सका। सरकार को कई प्रकार की कठिनाइयां हुई और मुलाजमों को तकलीफें हुई। सभापति महोदय, तो मरीज मैडीकल हस्पताल मैं दाखिल थे, उनको भी काफी परे ाानियां उठानी पड़ी। इसके साथ–साथ मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि जब श्री बतरा वाइस चांसलर ही थे तो उस वक्त गोहाना रोहतक रोड़ पर मैडिकल कालेज की साइट का फैसला किया गया था। आप देखेंगे, 1976 से लेकर आज तक करोड़ों रूपया खर्च हो चुका है लेकिन साइट पर आज तक एक ईंट भी

नहीं लगी है। आप इन्हीं हरकतों से अन्दाजा लगा सकते है कि 75 लाख रूपया जो सरकार ने दिया था उसके बारे मैं श्री हरद्वारी लाल जी ने आर्डर्ज कर दिए कि 30 दिन के अन्दर अन्दर रूल्ज एंड रेगुले ान की परवाह ने करते हुए सारा पैसा खर्च कर दिया जाए। ये आर्डर रिटर्न दिये थे। बिलडिंग वगैरह तो बनाई नहीं, पर उसकी जगह 10 लाख रूपये का फर्नीचर खरीदा गया वह फर्नीचर पानीपत में गोडरेज की एक एजेन्सी से खरीदा गया। मजे की बात तो यह है कि जिस दुकान से फर्नीचर खरीदा ,या, उसके पास इतना फर्नीचर कभी आया ही नहीं लेकिन कागजों में उसी दुकान से फर्नीचर खरीदा हुआ दिखाया गया।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजनलाल): चेयरमैन साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर यह जो सामान खरीदा गया था इस सारे मामले की इन्कवायरी के लिये एक कमि ान मुकरर्र किया हुआ है। इसलिए जब किसी मामले की जांच करने के लिए कमि ान नियुक्त हो जाए तो उस पर हाउस मैं डिस्क ान नहीं होनी चाहिए।

श्री हीरा नंद आर्य: सभापति महोदय, इस संबंध में मैं क्या कहूं। मैं समझता हूं कि वह वाइस चांसलर उस यूनिवर्सिटी मैं हमारे ऊपर है***। इसकलए मैं सरकार से दर्खास्त करूंगा कि जहां उनको यूनिवर्सिटी में अनेकों प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा वहां वाइस चांसलर की पावर को भी डिसैंटरलाइज करने की कृपा करे।

श्री सभापतिः अब सदन कल भाुक्रवार, दिनांक 21.3. 1980, प्रातः 9.00 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है।

18.22 बजे

(तत्प चात सदन भाुक्रवार, दिनांक 21.3.1980, प्रातः 9. 00 बजे तक के लिये स्थगित हुआ)।